दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली

की

निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रसार भारती

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च **2005** को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)

स्वायत्त निकाय

2006 की संख्या **19**

विषय सूची

	पैराग्राफ	*पृष्ठ*
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
विशिष्टताएं		vii
अनुशंसाओं का सारांश		ix
प्रस्तावना	1	1
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	2	2
लेखापरीक्षा मानदण्ड	3	2
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	4	3
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	5	3
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	6	3
दूरदर्शन	6.1	3
विपणन प्रबन्धन	6.1.1	3
लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी	6.1.1.1	3
अतिरिक्त नि.वा.स. अनुमत करने के कारण अभिकरणों को अतिरिक्त लाभ	6.1.1.2	5
निःशुल्क वाणिज्यिक समय के उपयोग की मानीटरिंग न करने के कारण हानि	6.1.1.3	5
नि.वा.स. की अनियमित अनुमति	6.1.1.4	6
प्रसारण शुल्क में संशोधन न होने के कारण हानि	6.1.1.5	8
समय के अधिक आबंटन के कारण हानि	6.1.1.6	8
अपलिकिंग प्रभारों की अवसूली	6.1.1.7	9
विदेशी उपभोक्ताओं से प्रभारों की अवसूली	6.1.1.8	9
निःशुल्क प्रसारण के कारण छोड़ा गया राजस्व	6.1.1.9	10
प्रस्तावों के संसाधन में विलम्ब	6.1.1.10	10
अनुशंसाएं	6.1.1.11	11
वित्तीय प्रबन्धन	6.1.2	11
दरों को गलत तरीके से लागू करने के कारण प्रसारण शुल्क का कम प्रभारित किया जाना	6.1.2.1	11
निजी निर्माताओं को अनुचित लाभ	6.1.2.2	11
अनियमित कमीशन प्रदान करना	6.1.2.3	12
बैंक गारंटी की राशि निर्धारण करने की त्रुटिपूर्ण प्रणाली	6.1.2.4	14
क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट के प्रेषण में विलम्ब	6.1.2.5	14
प्रत्यायन रद्द करने में विफलता	6.1.2.6	15
ब्याज का अनुद्ग्रहण/अवसूली	6.1.2.7	16
ब्याज की कम वसूली	6.1.2.8	17
सेवाकर का अनुद्ग्रहण/स्रोत पर कर की कटौती न करना	6.1.2.9	18
अनुशंसाएं	6.1.2.10	19

संसाधन प्रबन्धन	6.1.3	19
स्टुडियो का कम उपयोग	6.1.3.1	19
वेबसाईट पर प्रकाशित और दूरदर्शन द्वारा अनुरक्षित बकाया देय के बीच अन्तर	6.1.3.2	20
अभिलेखों का अनुपयुक्त अनुरक्षण	6.1.3.3	20
आन्तरिक नियंत्रण	6.1.3.4	20
अनुशंसाएं	6.1.3.5	21
आकाशवाणी	6.2	21
विपणन प्रबन्धन	6.2.1	21
राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	6.2.1.1	21
एफ.एम. चैनलों का गिरता राजस्व	6.2.1.2	23
वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए समय अन्तराल का नगण्य उपयोग	6.2.1.3	24
निजी अभिकरणों से राजस्व का प्रवाह	6.2.1.4	24
दरों का संशोधन न करना	6.2.1.5	25
विज्ञापनों/प्रायोजित कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए अपर्याप्त प्रावधान	6.2.1.6	26
अनुशंसाएं	6.2.1.7	26
वित्तीय प्रबन्धन	6.2.2	26
संविदा किए बिना कार्यक्रम के प्रसारण करने के कारण देयों की अवसूली	6.2.2.1	26
बकाया देय	6.2.2.2	27
बकाया देयों को गलत दर्शाया जाना	6.2.2.3	28
प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान	6.2.2.4	28
वाणिज्यिक प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब	6.2.2.5	28
प्रभार का उद्ग्रहण किए बिना कार्यक्रमों का प्रसारण	6.2.2.6	29
क्रिकेट मैचों के मामले में बिल बनाने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि	6.2.2.7	29
सेवाकर का अनुद्ग्रहण/स्रोत पर आयकर की कटौती न करना	6.2.2.8	30
अनुशंसाएं	6.2.2.9	30
संसाधन प्रबन्धन	6.2.3	31
स्टुडियो का कम उपयोग	6.2.3.1	31
आन्तरिक नियंत्रण	6.2.3.2	31
अनुशंसाएं	6.2.3.3	32
निष्कर्ष	7	32
मंत्रालय का प्रत्युत्तर	8	33

अनुबन्ध

1	प्रसारण शुल्क में संशोधन न होने के कारण हानि	35
2	31 मार्च 2005 तक बकाया देयों की वसूली के लिए विलम्बित कार्यवाही	36
3	दूरदर्शन की वेबसाईट पर 15 अगस्त 2005 तक बकाया राशि वाले चूककर्ता	38
4	दूरदर्शन द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में वेब साईट पर प्रकाशित देयों में अन्तर	41
	संकेताक्षरों की सूची	42

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन दूरदर्शन एवं आकाशवाणी, (प्रसार भारती) द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह लेखापरीक्षा 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए 22 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के दूरदर्शन केन्द्रों, निदेशक, वाणिज्यिक सेवाएं, दूरदर्शन, नई दिल्ली, 15 वाणिज्यिक प्रसारण सेवा स्टेशनों, केन्द्रीय बिक्री इकाई, मुम्बई और आकाशवाणी के उप महानिदेशक (वाणिज्यिक) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई थी।

विहंगावलोकन

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की स्थापना भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के माध्यम से की गई थी। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी, प्रसार भारती के दो अलग प्रभागों के रूप में कार्य करते हैं और नवम्बर 1997 में नियुक्त प्रसार भारती बोर्ड द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी नवम्बर 1967 से वाणिज्यिक सेवा चला रही है जबकि दूरदर्शन ने वाणिज्यिक सेवाएं जनवरी 1976 से आरम्भ की।

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि:

- दूरदर्शन राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क में भारी वृद्धि का उपयोग करने में समर्थ नहीं था; यह अपने द्वारा निर्धारित 701.34 करोड़ रु. के लक्ष्य के प्रति 2004-05 के दौरान 665.27 करोड़ रु. ही अर्जित कर सका।
- मार्च 2003 में अपने दर कार्ड का संशोधन करते समय अतिरिक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) अनुमत करके दूरदर्शन ने, वाणिज्यिक विवेक के अभाव को प्रदर्शित किया। इसके परिणामस्वरूप दू.द. ने बढ़ी दरों से केवल 27.87 लाख रु. अर्जित किये जबकि प्रायोजकों को 6.55 करोड़ रु. का लाभ हुआ।
- फीचर फिल्मों के प्रसारण में नि.वा.स. के उपयोग में पर्याप्त मानीटरिंग के अभाव के कारण अक्तूबर 2000 से जून 2005 के दौरान 19.08 करोड़ रु. की हानि हुई।
- नि.वा.स. की अनियमित अनुमति का परिणाम 100 मामलों में 8.88 करोड़ रु. की हानि में हुआ।
- दू.वा.से., नई दिल्ली ने दर कार्ड में निर्धारित बढ़े हुए प्रसारण शुल्क को प्रभारित नहीं किया था और 2001-05 के नमूना जांच किए गए महीनों के दौरान 5.03 करोड़ रु. की हानि उठाई।
- कार्यक्रम विषयवस्तु की प्रसारण अवधि को मानीटर नहीं किया गया था। इसका परिणाम सितम्बर 2002 से मार्च 2005 के दौरान 4.01 करोड़ रु. की हानि में हुआ।
- दूरदर्शन ने संविदा किए बिना बाह्य निर्माताओं को अपलिकिंग सुविधाएं प्रदान की जिसका परिणाम 31 मार्च 2005 तक 3.03 करोड़ रु. की अवसूली में हुआ।
- दूरदर्शन को भुगतान करने में असफल अभिकरणों का प्रत्यायन को रद्द करने के लिए समय पर कार्यवाही के अभाव में इसका परिणाम 31 मार्च 2005 तक 513.38 करोड़ रु. के बकाया देयों का संग्रहण हुआ।
- आकाशवाणी का विपणन प्रबन्धन भी सफल नहीं था और 251.15 करोड़ रु. के अपने राजस्व लक्ष्य के प्रति यह 2004-05 में केवल 136 करोड़ रु. ही अर्जित कर सका।
- आ.वा. अपने संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सका और उपलब्ध वाणिज्यिक समय को बेचने के इसके विपणन प्रयत्न सफल नहीं हुए। तथ्य यह दर्शाता था कि देश में रेडियो स्टेशनों

की कुल संख्या के लगभग 9 प्रतिशत हिस्से वाले निजी चैनल कुल राजस्व का 49 प्रतिशत हिस्सा घेरने में सफल हुए।

- आ.वा. का चार महानगरों में स्थित अपने एफ.एम. चैनलों से राजस्व 2001-02 में स्तर से 2004-05 में बहुत अधिक गिरावट आई थी।
- आ.वा. की अपनी दरों को निर्धारित करने के लिए कोई विवेकपूर्ण नीति नहीं थी। इसने अपनी दरें बिना कोई निर्धारित आवर्तन और निजी चैनलों द्वारा प्रभारित दरों को ध्यान में रखे बिना तदर्थ रूप से संशोधित की।
- किसी कार्यक्रम का प्रसारण करने से पहले औपचारिक अनुबन्ध करने जैसी प्राथमिक कार्यवाही करने में विफलता का परिणाम फरवरी 2004 में 5.19 करोड़ रु. की हानि में हुआ।
- पर्याप्त मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्यवाही की कमी का परिणाम नवम्बर 2005 तक विभिन्न अभिकरणों और विज्ञापनदाताओं से 18.63 करोड़ रु. की वसूली नहीं करने में हुआ। कुछ देय 15 वर्षो से अधिक पुराने हो गये हैं। कुछ मामलों में चूककर्ताओं के पते ठिकाने भी मालूम नहीं था।
- के.बि.इ. मुम्बई ने उन अभिकरणों को जिन्होंने अपने देय आ.वा. को नहीं दिये थे अनियमित रूप से 1.04 करोड़ रु. का भुगतान किया।
- बिलों को प्रस्तुत करने और प्राप्तियों को प्रसार भारती के मुख्य खाते में जमा कराने में विलम्ब के कई मामले थे, जिसका परिणाम 72.76 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ।
- दूरदर्शन के साथ-साथ आकाशवाणी में आन्तरिक नियंत्रण और वाणिज्यिक क्रियाकलापों का मानीटरिंग त्रुटिपूर्ण थी।

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

विशिष्टताएं

दूरदर्शन

- दू.द. 2004-05 के दौरान 701.34 करोड़ रु. के राजस्व लक्ष्य के प्रति केवल 665.27 करोड़ रु. ही अर्जित कर सका क्योंकि यह आनुपातिक राजस्व सृजन करने के लिए अपने नेटवर्क में भारी वृद्धि का उपयोग करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 6.1.1.1)

- दर-कार्ड का संशोधन करते समय प्रायोजकों को अतिरिक्त नि.वा.स. प्रदान करने के परिणामस्वरूप दू.द. ने बढ़ी दरों से केवल 27.87 लाख रु. अर्जित किए जबकि प्रायोजकों को 6.55 करोड़ रु. का लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 6.1.1.2)

- दू.वा.से., नई दिल्ली और दू.द.के., मुम्बई ने फीचर फिल्मों के प्रसारण में नि.वा.स. के उपयोग की मानीटरिंग न करने के कारण क्रमशः 12.56 करोड़ रु. और 6.52 करोड़ रु. की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 6.1.1.3)

- नि.वा.स. की अनियमित अनुमति का परिणाम 100 मामलों में 8.88 करोड़ रु. की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 6.1.1.4)

- दू.वा.से. नई दिल्ली ने दर कार्ड में निर्धारित बढ़े हुए प्रसारण शुल्क को प्रभारित करने में विफलता के कारण 5.03 करोड़ रु. की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 6.1.1.5)

- कार्यक्रम विषय-वस्तु की प्रसारण अवधि की मानीटरिंग न करने के कारण 4.01 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 6.1.1.6)

- दूरदर्शन ने संविदा किये बिना बाह्य निर्माताओं को अपलिकिंग सुविधाएं प्रदान की जिसका परिणाम 3.03 करोड़ रु. की अवसूली में हुआ।

(पैराग्राफ 6.1.1.7)

- दूरदर्शन द्वारा राजस्व की वसूली के लिए समय पर कार्यवाही प्रारम्भ न करने का परिणाम 513.38 करोड़ रु. के देय बकाया थे।

(पैराग्राफ 6.1.2.6)

- बिलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब, विलम्बित भुगतानों पर ब्याज वसूल न करने और ब्याज प्रभारित करने से सम्बन्धित प्रावधान को गलत ढंग से लागू करने के कारण 1.17 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 6.1.2.7 एवं 6.1.2.8)

- दू.द.के. थिरूवनन्तपुरम में 2.95 करोड़ रु. की लागत पर अगस्त 2002 में स्थापित किया गया एक स्टूडियो दिसम्बर 2005 तक चालू नहीं किया गया है।

(पैराग्राफ 6.1.3.1)

- अभिलेखों/रजिस्टरों के रखरखाव की गुणवत्ता खराब थी। अधिकांश मामलों में, प्रसार भारती के आरम्भ से आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 6.1.3.4)

आकाशवाणी

- 2004-05 के दौरान आ.वा. 251.15 करोड़ रू. के लक्ष्य के प्रति 136 करोड़ रू. अर्जित कर सका; लक्ष्य उनके सम्भावित बाजार मूल्य के अनुसार स्टेशनों के सामूहिकरण के योक्तिकरण के बाद नियत किया गया था एवं पिछले वर्ष के निष्पादन पर आधारित नहीं था। आ.वा. द्वारा राजस्व सृजन, निजी चैनलों के केवल 22 स्टेशनों के राजस्व का लगभग 49 प्रतिशत के हिस्से के प्रति समस्त भारत में फैले 215 रेडियो स्टेशनों की उसकी अवसंरचना के आनुपातिक नहीं थी।

(पैराग्राफ 6.2.1.1)

- चार महानगरों में स्थित एफ.एम चैनलों से राजस्व 2001-02 के स्तर से 2004-05 में बहुत अधिक गिरावट (मुम्बई के मामले में 98 *प्रतिशत* तक) आई थी।

(पैराग्राफ 6.2.1.2)

- आ.वा. के पास दर कार्डों के संशोधन के लिए कोई निर्धारित समय-विन्यास नहीं था। इसने निजी एफ.एम. चैनलों द्वारा प्रभारित दरों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें संशोधित नहीं की थी। दरों को निर्धारित करने की कोई विवेकपूर्ण नीति नहीं थी। इसके बजाय, कई मामलों में दरें तदर्थ रूप से बढ़ाए जाने के बाद वापस ले लिया गया था।

(पैराग्राफ 6.2.1.5)

- आ.वा., औपचारिक समझौता न करने के कारण, 2004 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'इरादा नये भारत का' के विशेष प्रचार अभियान के प्रसारण के लिए 84.12 लाख रु. के ब्याज सहित 5.19 करोड़ रु. की वसूली नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 6.2.2.1)

- आ.वा. अभिकरणों/विज्ञापनदाताओं से 18.63 करोड़ रु. की वसूली करने में विफल रहा; कुछ 1990 से पहले की अवधि से सम्बन्धित हैं, कुछ मामलों में, मामला मुकदमेबाजी के अधीन था, जबकि कुछ में अभिकरणों के पते-ठिकाने भी मालूम नहीं थे।

(पैराग्राफ 6.2.2.2)

- के.बि.इ., मुम्बई ने उन अभिकरणों, जिन पर देय बकाया थे, को 1.04 करोड़ रु. की अग्राह्य प्रोत्साहन राशि अनुमत थी।

(पैराग्राफ 6.2.2.4)

- बिल प्रस्तुत करने और प्राप्तियों को प्रसार भारती के मुख्य खाते में जमा कराने में विलम्ब के मामले थे। केवल वा.प्र.से. पटना में, इसका परिणाम 2001-05 की अवधि के लिए 72.76 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 6.2.2.5)

अनुशंसाओं का सारांश
प्रसार भारती
(दूरदर्शन के लिए)

- *प्रत्येक केन्द्र के संभाव्य राजस्व को ध्यान में रखते हुए वास्तविक राजस्व लक्ष्य निर्धारित करे, राजस्व उत्पत्ति का आवधिक रूप से पुनरीक्षण करने के लिए उचित मानीटरिंग प्रणाली स्थापित की जाए और ऐसे पुनरीक्षण पर आधारित सुधारात्मक कार्यवाही समय पर करे।*
- *निर्माता द्वारा प्रयुक्त वाणिज्यिक समय और उसके साथ-साथ कार्यक्रम विषयवस्तु की अवधि पर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए।*
- *या तो बैंक गारंटी की राशि बढ़ाकर या भुगतान के लिए अनुमत अवधि को छोटा करके या दोनों को लागू करें ताकि अभिकरणों के उन मामले जिसमें वे चूककर्ता बन जाए, तो बकाया प्रसारण शुल्क बैंक गारंटी से वसूल किया जाए।*
- *राजस्व की वसूली में विलम्ब और उस खाते पर ब्याज की हानि से बचने के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों में ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक खाता खोलने पर विचार किया जाए।*
- *चूककर्ता अभिकरणों से बकाया देयों की वसूली के लिए सुनिश्चित और समय-सीमा कार्यवाही योजना प्रतिपादित की जाए।*
- *दूरदर्शन संहिता में निर्धारित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए, अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करे और विभिन्न एजेन्सियां के प्रति वास्तविक बकाया राशियों को पता करने के लिए आंकड़ों का आवधिक रूप से समाधान क़रे।*
- *दरों इत्यादि को गलत प्रभारित करने के कारण अभिकरणों को अनुमत अनुचित लाभों के मामलों का पता लगाने के लिए इसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए।*

(आकाशवाणी के लिए)

- *प्रतिस्पर्धा का निर्धारण करे और तदनुसार उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा बाजार पर किए गए विस्तृत विज्ञापन खर्चों को निकालने के लिए एक व्यापक विपणन रणनीति और मीडिया योजनाओं की युक्ति निकाले।*

- *बाजार में प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अपने दर कार्डों का नियमित अन्तरालों पर संशोधन और पुनरीक्षण करे।*
- *वाणिज्यिक समय और राजस्व की हानि से बचने के लिए प्रायोजकता/स्पॉट्स को निरस्त करने के लिए दाण्डिक धारा शामिल करने के लिए नियमों का पुनरीक्षण करे।*
- *राजस्व की प्राप्ति और क्रेडिट की मानीटरिंग करने के लिए कम्प्यूटरीकृत लेखाकरण अपनाए।*
- *अपने स्टूडियो को निजी निर्माताओं और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों जैसे शैक्षिक प्रसारणकर्ताओं को भी किराये पर देने के मार्ग खोजें।*
- *राजस्व की हानि की जांच करने के लिए बिल बनाने, संग्रहण, लेखाकरण, आन्तरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में आन्तरिक नियंत्रण को मजबूत बनाए।*

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

1. प्रस्तावना

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की स्थापना भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के माध्यम से की गई थी। निगम की स्वयं की निधि है जिसमें निगम की सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और जिससे निगम द्वारा सभी भुगतान किए जाते हैं। दूरदर्शन, जो टेलीविजन प्रसारण का प्रबन्ध करता है, और आकाशवाणी (आ.वा.) जो रेडियो प्रसारण का प्रबन्ध करता है, प्रसार भारती के दो पृथक प्रभागों के रूप में कार्य करते हैं और नवम्बर 1997 में नियुक्त प्रसार भारती बोर्ड द्वारा प्रबंधित है।

दूरदर्शन (दू.द.) ने जनवरी 1976 से वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ की थी। महानिदेशक, दू.द. वाणिज्यिकों के प्रसारण के लिए नीतियां तैयार करता है और नीतिगत और वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए दरों को निश्चित करता है। दूरदर्शन का वाणिज्यिक प्रभाग, विज्ञापनों के लिए प्रसारण हेतु अनुदेश जारी करता है, भुगतान संग्रहीत करता है तथा प्रायोजकता एवं प्रसारण शुल्क के लिए दर कार्ड को अंतिम रूप देता है। सामान्यतः हिन्दी में विज्ञापन राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होते हैं जबकि क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रसारित किए जाते हैं। बुकिंग सामान्य रूप से दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा (दू.वा.से.) नई दिल्ली और 48 क्षेत्रीय केन्द्रों पर पंजीकृत तथा मान्यताप्राप्त अभिकरणों के माध्यम से स्वीकार की जाती है। क्षेत्रीय केन्द्र निम्न के लिए उत्तरदायी है

- प्रायोजन/कमीशन प्राप्त कार्यक्रमों/विज्ञापनों का प्रसारण,
- प्रसारण प्रमाण-पत्रों/संकेत पत्रों को तैयार करना,
- बिलों को तैयार करना,
- उनके द्वारा जारी बिलों के प्रति मांग ड्राफ्टों को संग्रहीत करना तथा उन्हें प्रसार भारती के लेखे में जमा करने के लिए दू.वा.से. नई दिल्ली को अग्रेषित करना,
- अभिकरणों आदि से बकाया देयों की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ करना,
- इन-हाऊस कार्यक्रमों का विपणन तथा
- क्षेत्रीय चैनलों पर फिल्मों और कार्यक्रमों के उत्पादन तथा बेचने हेतु बाह्य विपणन अभिकरणों के साथ संविदा करना।

आ.वा. जो विभिन्न स्टेशनों से अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, नवम्बर 1967 से विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक सेवा चला रहा है। प्रारंभ में केवल आ.वा. का केन्द्रीय बिक्री इकाई (के.बि.इ.), मुम्बई विपणन के लिए उत्तरदायी था। यह बाद में स्थानीय विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन की बुकिंग सुलभ बनाने के लिए आंशिक तौर पर विकेन्द्रित किया गया। वाणिज्यिक प्रसारण सेवा (वा.प्र.से.) स्टेशन उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्राइमरी चैनल स्टेशनों पर बुकिंग, बिल बनाने तथा वाणिज्यिकों का लेखा रखने के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2005 तक भारत में 15 वा.प्र.से. थीं।

पिछले चार वर्षो के दौरान दू.द. तथा आ.वा. द्वारा राजस्व सृजन तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1 : दू.द. एवं आ.वा. द्वारा राजस्व सृजन

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	दूरदर्शन	आकाशवाणी
2001-02	615.21	96.68
2002-03	553.81	102.25
2003-04	530.23	117.69
2004-05	665.27	136.00

2. लेखापरीक्षा का उद्देश्य

दू.द. एवं आ.वा. द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली की मौजूदा निष्पादन लेखापरीक्षा, विज्ञापन प्राप्तियों के उदग्रहण, संग्रहण तथा लेखाकरण तथा विभिन्न सेवाएं देने के लिए दरों को नियत करने के लिए पैरामीटरों की क्रियाशीलता को शामिल करते हुए कार्यविधि की पर्याप्तता को निर्धारण करने के लिए संचालित किया गया है। राजस्व सृजन में प्रवाह तथा उतार-चढ़ाव को भी जांचा गया।

3. लेखापरीक्षा मानदण्ड

प्रसार भारती के राजस्व सृजन कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए प्रयोग में लाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मानदण्ड थेः

- प्रसार भारती द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए दरों का निर्धारण करने के लिए पैरामीटर;
- दर कार्डो के प्रावधानों के अनुसार दरों की तुलना में उद्ग्रहीत दर;
- कार्यक्रमों/वाणिज्यिक विज्ञापन के प्रसारण के लिए प्रसार भारती द्वारा नियत दरों की तुलना में राजस्व सृजन का परिमाण;
- प्रसार भारती की निधि में राजस्व प्रेषण में तत्परता;
- अभिकरणों के साथ समझौतें के अनुबन्ध एवं शर्तें तथा
- राजस्व सृजन के मूल्यांकन, संग्रहण एवं लेखाकरण के लिए यान्त्रिकी की दक्षता एवं प्रभावकारिता।

4. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए 22 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों, के दूरदर्शन केन्द्रों, निदेशक, वाणिज्यिक सेवाओं, 15 वा.प्र.से. केन्द्रों, के.बि.इ. मुम्बई तथा आकाशवाणी के उप महानिदेशक (वाणिज्यिक) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई। विस्तृत संवीक्षा के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष से एक तिमाही का चयन किया गया अर्थात 2001-02 के लिए अक्तूबर से दिसम्बर 2001, 2002-03 के लिए जनवरी से मार्च 2003, 2003-04 के लिए अक्तूबर से दिसम्बर 2003 तथा 2004-05 के लिए जनवरी से मार्च 2005।

5. लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

दू.द. एवं आ.वा. द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा लेखापरीक्षा की योजना पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और दू.द. एवं आ.वा. की वाणिज्यिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रारंभिक सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। इसी प्रकार के सम्मेलन राज्यों में दूरदर्शन केन्द्रों एवं वा.प्र.से के सम्बन्धित अध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित किए गए। लेखापरीक्षा पद्धति में बिल रजिस्टरों, अनुसूची रजिस्टरों, प्रसारण सूचनाओं, प्रसारण प्रमाण-पत्रों, दर कार्डो, रोकड़ खाता, एजेन्ट बही खाता आदि की संवीक्षा के माध्यम से डाटा संग्रहण शामिल था।

6. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा में, प्रणाली कमियां, कार्यविधिक व्यपगत, निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में मूल अभिलेखों का गलत अनुरक्षण, राजस्व की हानियाँ, देयों की वसूली के लिए विलम्बित कार्रवाई, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण आदि प्रकट हुई, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में विवरण किया गया है।

6.1 दूरदर्शन

6.1.1 विपणन प्रबन्धन

6.1.1.1 लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के लिए लक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। वर्ष 2004-05 के दौरान 701.34 करोड़ रू. के लक्ष्य के प्रति केवल 665.27 करोड़ रू. का राजस्व अर्जित किया गया जैसा कि नीचे तालिका 2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2 : दू.द. द्वारा राजस्व सृजन

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	दूरदर्शन		
	लक्ष्य	राजस्व संग्रहण	कमी
2001-02	उ.न.*	615.21	-
2002-03	उ.न.	553.81	-
2003-04	उ.न.	530.23	-
2004-05	701.34	665.27	36.07

*उ.न. – उपलब्ध नहीं

पांच केन्द्रों में पायी गयी महत्वपूर्ण कमी नीचे चार्ट में दर्शायी गई है:

चार्ट 1 : 2004-05 के दौरान उपार्जित राजस्व के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कुछ दू.द.के. की उपलब्धि

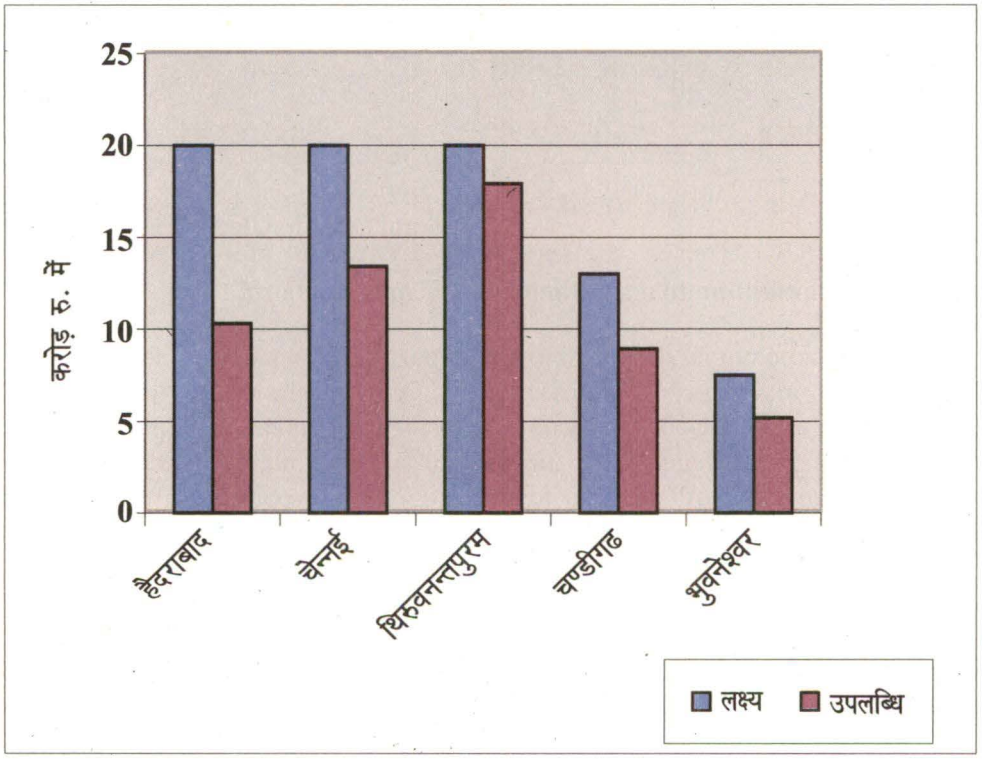

कमियां यह दर्शाती है कि दू.द. आनुपातिक राजस्व सृजन करने के लिए अपने नेटवर्क में भारी वृद्धि का उपयोग करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इम्फाल में ट्रांसमीटरों की क्षमता में दस गुणा बढ़ोतरी के बावजूद 2003-04 में 4.29 लाख रू. से 2004-05 में 1.34 लाख रू. की कमी हुई, जोकि आ.वा., इम्फाल के राजस्व से भी कम था।

6.1.1.2 अतिरिक्त नि.वा.स. अनुमत करने के कारण अभिकरणों को अतिरिक्त लाभ

दू.द. प्रायोजकता शुल्क प्रभारित करता है और दर कार्ड के अनुसार प्रायोजकों को निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.)[1] प्रदान करता है। प्रायोजक अपनी कार्यक्रम निर्माण लागत वसूल करने के लिए वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए नि.वा.स. बेचता है; दू.द. को प्रायोजकता शुल्क का भुगतान करता है और शेष को अपने लाभ के रूप में अपने पास रखता है। तदनुसार भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2003 से प्रसारण सेवाओं पर सेवाकर उद्ग्रहित करने के लिए, दू.वा.से. ने मार्च 2003 में दू.द. के वाणिज्यिक दर कार्ड में संशोधन किया। संशोधित दर कार्ड में प्रसारण शुल्क पूर्व संशोधित दरों का लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ था और उसमें आठ प्रतिशत सेवाकर सम्मिलित था। आगे संशोधित दर कार्ड में विद्यमान, पूर्व संशोधित दरों के अंतर्गत स्वीकृत समय से ऊपर 30 मिनट के प्रत्येक प्रसारण में 10 सैकेंड का अतिरिक्त नि.वा.स. स्वीकृत किया गया। संशोधित दर कार्ड में नि.वा.स. की वृद्धि का परिणाम प्रायोजकों को अगस्त 2003 से मार्च 2004 तक 6.55 करोड़ रू. के अतिरिक्त लाभ में हुआ, जबकि दू.द. दरों के बढ़ाने के माध्यम से केवल 27.87 लाख रू. का लाभ प्राप्त कर सका।

दू.वा.से. ने बताया (जून 2006)कि क्योंकि अतिरिक्त नि.वा.स. नहीं बिक रहा था, इसे संगठन की लागत के रूप में नहीं कहा जा सकता बल्कि यह संगठन के लिए लाभ था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि प्रायोजकों को दू.द. की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ हुआ था। दू.द. को उपलब्ध वाणिज्यिक समय को अन्य प्रायोजकों को बेचने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उपरोक्त तरीके से क्षेत्रीय केन्द्रों के दर कार्ड भी अगस्त 2003 में संशोधित किए गए थे जिसका परिणाम, दू.द.के., कोलकाता में 2003-04 के दौरान प्रायोजकों को 23.90 लाख रू. के अतिरिक्त लाभ में हुआ।

6.1.1.3 निःशुल्क वाणिज्यिक समय के उपयोग की मानीटरिंग न करने के कारण हानि

दर कार्ड के अनुसार, निर्माताओं और अभिकरणों को प्रायोजित तथा कमीशन प्राप्त कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि के लिए नि.वा.स. का उपयोग करने की अनुमति थी, जो समय सीमा पर निर्भर करता था। दर कार्ड के अनुसार अप्रयुक्त नि.वा.स.की बैकिंग[2] की सभी कार्यक्रमों में अनुमति थी। नि.वा.स. के अतिरिक्त, कार्यक्रम के शुरू में 20 सैकेंड तक तथा अंत के 20 सैकेंड तक निःशुल्क क्रेडिट लाइन भी दी जाती है। यद्यपि, बोली प्रक्रिया द्वारा दिये गये बाह्य निर्मित एवं प्रायोजित कार्यक्रम बोली आवेदन फार्म तथा प्रायोजकों द्वारा किए गए करार में प्रदत्त बैकिंग के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये जाते हैं।

दू.वा.से. ने 5 अप्रैल 2003 से 3 अप्रैल 2004 की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटी के आधार पर एक अभिकरण को राष्ट्रीय चैनल पर शनिवार रात को हिन्दी फीचर फिल्म प्रसारण के

---

[1] "निःशुल्क वाणिज्यिक समय" कोई शुल्क प्रभारित किए बिना प्रायोजकों को वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए दू.द./आ.वा. द्वारा स्वीकृत समय है।

[2] 'बैकिंग' कार्यक्रम में अप्रयुक्त वाणिज्यिक समय है जिसका उपभोग उसी कार्यक्रम में बाद में किया जा सकता है।

लिए अनुमति दी और उसके एवज में अभिकरण फिल्म के प्रत्येक घंटे के लिए विशिष्ट नि.वा.स. की हकदार थी। वाणिज्यिक समय के अधिक उपयोग के लिए अतिरिक्त स्पाट बाय दर फिल्म के प्रसारण के पहले घंटे, दूसरे घंटे एवं तीसरे घंटे के लिए प्रति दस सैकेंड क्रमशः 60,000 रू., 30,000 रू. और 20,000 रू. से प्रभार्य थे। अभिकरण को प्रत्येक फिल्म में 200 सैकेंड तक अप्रयुक्त नि.वा.स. की बैंकिंग की भी स्वीकृति थी जिसे उसी घंटे में उपयोग किया जाना था जहाँ अप्रयुक्ति के कारण उसे बैंक किया गया था। तथापि, अभिकरण ने पहली फिल्म से ही फिल्म के प्रसारण के पहले घंटे में स्वीकार्य समय के अधिक वाणिज्यिक समय का उपयोग किया और दूसरे घंटे में 200 सैकेंड से अधिक बैंक किया गया नि.वा.स. का भी उपयोग किया। दू.वा.से. नई दिल्ली ने 9.67 करोड़ रू. के 19,655 सैकेंड के कम वाणिज्यिक समय का बिल प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, विज्ञापनों से पहले क्रेडिट लाइन[3] के लिए कोई प्रावधान नहीं था परन्तु अभिकरण ने 7550 सैकेंड की क्रेडिट लाइन का उपयोग किया जिसके लिए कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया। क्रेडिट लाइन का मूल्य आधे समय के लिए अर्थात 3775 सैकेंड के लिए 60,000 रू. प्रति दस सैकेंड की दर से और शेष 3775 सैकेंड के लिए 30,000 रू. प्रति दस सैकेंड की दर पर 2.89 करोड़ रू. (अभिकरण कमीशन का निवल) निकाला गया। इस प्रकार वाणिज्यिक सेवाओं को 5 अप्रैल 2003 से 3 अप्रैल 2004 की अवधि के लिए 12.56 करोड़ रू. की कुल हानि उठानी पड़ी।

इसी प्रकार, दू.द.के. मुम्बई ने अक्तूबर 2000 से जून 2005 के दौरान, दो अभिकरणों की क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के प्रसारण में 19618 सेकैंड के वाणिज्यिक समय के अधिक उपयोग तथा 31520 सैकेंड की क्रेडिट लाइन के लिए 6.52 करोड़ रु. की मांग नहीं की थी। केन्द्र ने बताया (अक्तूबर 2005) कि प्रत्येक वाणिज्यिक संपुट के आरंभ में 20 सैकेंड तक तथा अंत में 20 सैकेंड निःशुल्क लागत पर क्रेडिट लाइन दिया गया था और प्रायोजक श्रेणी के पैकेज में शामिल था। केन्द्र का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अभिकरणों के साथ अनुबन्ध स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता था कि क्रेडिट लाइन स्वीकार्य नि.वा.स. में सम्मिलित होंगी। दर कार्ड, जो विशेष अनुबंधों के करते समय, लागू नहीं था, का हवाला देते हुए केन्द्र अपने विरोधी पक्ष को दृढतापूर्वक प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र ने मार्च 2001 से अप्रैल 2005 के दौरान तीन अन्य धारावाहिकों में प्रयुक्त अधिक वाणिज्यिक समय के लिए 1.26 करोड़ रु. की मांग भी नहीं की थी।

6.1.1.4 नि.वा.स. की अनियमित अनुमति

दर कार्ड, जो प्रायोजकता दर प्रभारित करने का नियमन करता है, कार्यक्रम समय के प्रत्येक 30 मिनट के लिए निर्धारित प्रभारित राशि तथा उस पर अनुमत नि.वा.स. निर्धारित करता है। 30 मिनट से कम अवधि के कार्यक्रमों के मामले में, यथानुपात आधार पर नि.वा.स. लागू

[3] 'क्रेडिट लाइन' में ग्राहक (कम्पनी) के नाम का प्रदर्शन किसी लिखित/स्टाईल पसंद और/या संगीत के साथ श्रव्यता में या पदार्थ के नाम बोलकर या लिखकर संगीत के साथ या बिना संगीत के किसी स्टाईल में प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है। इसे कार्यक्रम के आरम्भ और अन्त में स्वीकृत किया जाता है।

होता है। विज्ञापन करने वाले अभिकरणों को अप्रयुक्त नि.वा.स. की 100 प्रतिशत अनवरत बैंकिंग की अनुमति है। इस बैंक किए गए नि.वा.स. का, दर कार्ड में नियत सीमाओं के अधीन, उपयोग किया जा सकता है परन्तु उनके क्रेडिट में उपलब्ध नि.वा.स. से अधिक नहीं हो सकता। 31 अगस्त 2001 तक लागू दर कार्ड विनिर्दिष्ट करता था कि 30 मिनट के कार्यक्रम में स्वीकार्य नि.वा.स. के अतिरिक्त बैंक किए नि.वा.स. का 100 सैकेंड से अधिक का उपयोग नहीं किया जा सकता। 1 सितम्बर 2001 से लागू दर कार्ड ने बैंक किए गए नि.वा.स. की उपयोगिता को 60 सैकेंड प्रति कड़ी तक कम कर दिया। प्रत्यक्ष ग्राहक[4] जो विपणन प्रभाग के माध्यम से इन-हाऊस कार्यक्रम प्रायोजित करते हैं अपने बैंक किए गए नि.वा.स. का उपयोग न केवल उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में कर सकते हैं बल्कि उसी टाईम बैंड के अंतर्गत चल रहे अन्य इन हाऊस कार्यक्रमों में या संबंधित प्रायोजित कार्यक्रमों से कम टाईम बैंड में भी उपयोग कर सकते हैं।

उपरोक्त संक्षेपित निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन न करने के फलस्वरूप 8.88 करोड़ रु. की हानि हुई के कुछ उदाहरणों को तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3 : नि.वा.स. की अनियमित अनुमति के कारण हानि

केन्द्र का नाम	मामलों की सं.	शामिल राशि (करोड़ रु. में)	टिप्पणियां
मुम्बई	29	5.91	30 मिनट से कम अवधि के कार्यक्रमों के लिए, यथानुपात आधार पर नि.वा.स. की बजाय अधिक नि.वा.स. अनुमत किया गया।
मुम्बई	6	1.10	अभिकरणों ने निर्धारित प्रतिमानों से बाहर बैंक किए गए नि.वा.स. का उपयोग किया।
मुम्बई	1	0.26	अभिकरण को बोली में उद्धृत 650 सैकेंड की बजाय 700 सैकेंड का नि.वा.स. अनुमत किया गया।
मुम्बई	3	0.13	जब विज्ञापनकर्ता के क्रेडिट में बैंक किए गए नि.वा.स. से अधिक विज्ञापन प्रसारण था तब प्रभारों को वसूल न करना।
कोलकाता	2	0.59	केन्द्र ने स्वीकार्य 150 सैकेंड की बजाय 180 सैकेंड का अधिक नि.वा.स. अनुमत किया।
कोलकाता	1	0.32	केन्द्र ने अपेक्षित नि.वा.स. की बैंकिंग से संबंधित प्रतिबन्धों को लागू नहीं किया था और निर्माता को 1 घंटा 10 मिनट और 55 सैकेंड का अधिक वाणिज्यिक समय उपयोग करने की अनुमति दी।
कोलकाता	1	0.16	30 मिनट से कम अवधि के कार्यक्रमों के लिए यथानुपात आकार पर नि.वा.स. की अनुमति देने की बजाय अधिक नि.वा.स. अनुमत किया गया।
हैदराबाद	7	0.37	प्रत्यक्ष ग्राहक की बजाय अभिकरणों को विस्तारित बैंकिंग अनुमत की गई।
भुवनेश्वर	50	0.04	अभिकरणों ने अधिक नि.वा.स. का उपयोग किया, जिससे नि.वा.स. बैंकिंग रजिस्टर के अनुचित/अनुरक्षण न होने के कारण जिसके बिल नहीं बनाए गए थे।
योग	**100**	**8.88**	

[4] प्रत्यक्ष ग्राहक एक ग्राहक (कम्पनी) है जो दू.द./आ.वा. में व्यवसाय के लिए प्रत्यक्ष रुप से आता है और किसी विज्ञापन अभिकरण के माध्यम से नहीं आता है।

6.1.1.5 प्रसारण शुल्क में संशोधन न होने के कारण हानि

(i) 10 जुलाई 2001 से लागू दर कार्ड में दू.द. के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी प्रायोजित धारावाहिकों के स्लाट के प्रसारण शुल्क में 26 कड़ियों के बाद 25 प्रतिशत वृद्धि तथा उसके पश्चात प्रत्येक 13 कड़ियों के बाद प्रारम्भिक प्रसारण शुल्क में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान था। इस प्रावधान को 17 मई 2002 से संशोधित किया गया था तथा 26 कड़ियों के प्रसारण के बाद 25 प्रतिशत मूल वृद्धि को वापिस ले लिया गया था। यह भी प्रावधान किया गया कि 39वीं तथा 52वीं कड़ी के बाद धारावाहिक के विस्तार पर प्रसारण शुल्क में 15 प्रतिशत वृद्धि की बजाए, समझौते की शर्तों की समीक्षा तथा संशोधन किया जाए। मई 2002 के ये निर्णय, यद्यपि, इन धारावाहिकों के लिए लागू नहीं थे जिनके समझौते 17 मई 2002 से पहले हस्ताक्षरित किए जा चुके थे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित धारावाहिकों से संबंधित अक्तूबर-दिसम्बर 2001 और जनवरी-मार्च 2003 माह के अभिलेखों से पता चला कि दू.वा.से. ने लागू दरों से 26वीं, 39वीं, 52वीं, आदि कड़ियों के बाद प्रसारण शुल्क नहीं बढ़ाया था। कम शुल्क प्रभारित करने का परिणाम 5.03 करोड़ रु. के राजस्व की हानि में हुआ जैसा **अनुबन्ध-I** में विवरण दिया गया है।

(ii) जुलाई 2001 में, दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता ने विभिन्न समय स्लॉट के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बाह्य निर्माताओं से बोलियां आमंत्रित की और एक विशेष स्लॉट के लिए दो निर्माताओं के नाम घोषित किए। दूरदर्शन ने सितम्बर 2001 और अगस्त 2003 में दर कार्ड संशोधित किया। यद्यपि संशोधित वाणिज्यिक शर्ते एवं दर केन्द्र के लिए अधिक लाभदायक थे, दर कार्ड के संशोधन से पूर्व लागू नि.वा.स. से अधिक की अनुमति देते हुए केन्द्र ने नवम्बर 2003 में निर्माता के साथ समझौता किया। यद्यपि यह चयनात्मक रूप से किया गया क्योंकि केन्द्र ने उच्च नि.वा.स. अनुमत करते हुए बोली के समय प्रभावी अन्य वाणिज्यिक शर्तों को लागू नहीं किया था। पूर्व संशोधित शर्तों के अनुसार केन्द्र को प्रत्येक 130 कड़ियों के बाद समय बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत तक प्रसारण शुल्क में बढ़ोतरी अपेक्षित थी। हालांकि केन्द्र ने प्रसारण शुल्क में कोई बढ़ोतरी किए बिना 350 कड़ियों तक निर्माता को समय बढ़ाने की अनुमति दी थी। इसका परिणाम निर्माता को अनुचित लाभ होने तथा जून 2004 से जुलाई 2005 के दौरान दू.द. को 19.88 लाख रु. की हानि होने में हुआ।

6.1.1.6 समय के अधिक आबंटन के कारण हानि

प्रायोजित कार्यक्रम के लिए दू.द. दिशानिर्देशों के अनुसार, 30 मिनट के स्लॉट का वास्तविक कार्यक्रम विषय-वस्तु 22.5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष 7.5 मिनट में से, कार्यक्रम के निर्माता को 2.5 मिनट का नि.वा.स. मिलेगा तथा शेष 5 मिनट दू.द. के होंगे, जिसे वह निर्धारित दरों पर बेच सकेगा।

दू.द.के., कोलकाता ने नवम्बर 2001 में निर्माताओं से 30 मिनट की बजाय 25 मिनट की अवधि के स्लॉट कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। यथानुपात आधार पर, कार्यक्रम विषय-वस्तु 18.75 मिनट और नि.वा.स. 2 मिनट तक सीमित होने चाहिए। दो विभिन्न कार्यक्रमों ('माणिक' एवं 'प्रतीक्षा एकटु भालोबाशार') के लिए उच्चतम बोली लगाने वालों के साथ

समझौते को अंतिम रूप देते समय, जबकि केन्द्र ने प्रत्येक 25 मिनट के स्लॉट के लिए सही स्वीकार्य नि.वा.स. परिकलित किया था, उसने कार्यक्रम विषय-वस्तु के लिए यथानुपात समय गलत परिकलित किया और एक कार्यक्रम के लिए 3 मिनट 45 सैकेंड तथा अन्य के लिए 1 मिनट 55 सैकेंड अधिक समय अनुमत किया। लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रत्युत्तर में, केन्द्र ने बाद में सही प्रक्रिया अपना ली थी।

स्टूडियो लॉगबुक की जांच से आगे पता चला कि उपरोक्त दो कार्यक्रमों में समय का वास्तविक अधिक उपभोग 5 सैकेंड से 6 मिनट 55 सैकेंड प्रति कड़ी के बीच था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माताओं से अनुमत समय के लिए प्रभार लिया गया था परन्तु 479 कड़ियों में 18 घंटे 33 मिनट 12 सैकेंड के उपभोग किये गये अधिक समय के लिए कोई प्रभार नहीं लिया गया था जिसका परिणाम सितम्बर 2002 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान 4.01 करोड़ रु राजस्व की हानि में हुआ।

कार्यक्रम विषय-वस्तु की अवधि की मानीटरिंग के लिए कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी क्योंकि केन्द्र द्वारा जारी किए गए प्रसारण प्रमाण-पत्र[5] में अधिक समय उपभोग पर कोई सूचना शामिल नहीं थी।

6.1.1.7 अपलिंकिंग प्रभारों की अवसूली

दू.द. अक्तूबर 1990 से बाह्य निर्माताओं को अपलिंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा था परन्तु सेवा प्रदान करने से पहले उनके साथ कोई संविदा नहीं कर रहा था। इसलिए, बाह्य अभिकरणों, जिन्होंने अक्तूबर 1990 से अप्रैल 1998 तक अपलिंकिंग सुविधाएं प्राप्त की थीं के प्रति कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था। जून 1998 में, के.जां.ब्यू. ने मै. एन.डी.टी.वी., नई दिल्ली के सम्बन्ध में अपलिंकिंग प्रभारों के बिल न प्रस्तुत करने की पूछताछ प्रारंभ की। उसके बाद महानिदेशक दूरदर्शन, नई दिल्ली ने अगस्त 1998 में यह निर्णय लिया कि 31 मार्च 1998 तक निदेशालय द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाएंगे तथा 1 अप्रैल 1998 से निजी केन्द्र बिल प्रस्तुत और उनकी वसूली करेगा। दू.द.के. मुम्बई ने अक्तूबर 1990 से जनवरी 1995 तक की अवधि के लिए छः अभिकरणों के प्रति 1.16 करोड़ रु. के बिल प्रस्तुत किये थे। अभिकरणों ने राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, दू.द.के. मुम्बई ने अप्रैल 1998 से आगे की अवधि के लिए बिल प्रस्तुत किए जिसमें से, 31 मार्च 2005 तक दो अभिकरणों के लिए 54.91 लाख रु. की राशि बकाया थी। इसके अलावा, 1995 से 1998 की अवधि के लिए मै. आज तक के प्रति भी 1.32 करोड़ रु. बकाया थे। मामला विवाचन के अधीन है। इस प्रकार संविदा किए बिना अपलिंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा अभिकरणों को देर से बिल प्रस्तुत करने का परिणाम 31 मार्च 2005 तक 3.03 करोड़ रु. के देयों की वसूली नहीं होने में हुआ।

6.1.1.8 विदेशी उपभोक्ताओं से प्रभारों की अवसूली

दूरदर्शन तकनीकी सुविधाओं के दर कार्ड के अनुसार दूरदर्शन से तकनीकी सुविधाएं प्राप्त कर रहे विदेशी उपभोक्ताओं को सम्बन्धित दूतावास से यह आश्वासन प्रस्तुत करना होता है

[5] अनुरक्षित लॉगबुक के अनुसार प्रसारण प्रमाण-पत्र में कार्यक्रम में प्रसारित/प्रभारित वाणिज्यिक विज्ञापनों का विवरण शामिल होता है।

कि बीजक प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा। इसकी विफलता पर, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम रूप से किराया प्रभार जमा करना होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दू.द. ने अप्रैल 2001 से अगस्त 2005 के दौरान विदेशी चैनलों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवायी थी तथा इन चैनलों के प्रति 5,04,141 यू.एस.डालर के बीजक प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2006 तक 61.69 लाख रु. के समकक्ष (अप्रैल 2006 को परिवर्तित दर 1 यू.एस. डालर = 44.62 रु.) 1,38,247 यू.एस. डालर बकाया छोड़कर केवल 3,65,894 यू.एस. डालर ही प्राप्त हुए थे।

केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, नई दिल्ली ने बताया (जनवरी 2006) कि अधिकतर मामलों में उपलब्ध करवाने और लेने वाली सभी सेवाएं एवं अन्य प्रसारण सेवाएं योजनाबद्ध नहीं है तथा आकस्मिक प्रकृति की है और व्यावहारिक रूप से अग्रिम भुगतान/आश्वासन लेना संभव नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दूरदर्शन को दर कार्ड में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करना होता है। किसी प्रावधानों के कार्यान्वयन होने में यदि कोई कठिनाई होती है तो उस शर्त को मूल वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार संशोधित करना चाहिए ताकि उसका राजस्व सुरक्षित रहे। अन्तर्राष्ट्रीय विपणन प्रभाग, दूरदर्शन ने आगे बताया (जून 2006) कि वे विदेशी अभिकरणों के साथ संपर्क में थे और बकाया देयों की वसूली के लिए समय-समय पर पार्टियों को नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे थे।

6.1.1.9 निःशुल्क प्रसारण के कारण छोड़ा गया राजस्व

दर कार्ड विशेष रूप से उल्लेख करता है कि जन सेवा प्रसारण तथा बच्चों की श्रेणी के कार्यक्रमों को स्लॉट शुल्क के 75 प्रतिशत से प्रभारित किया जायेगा तथा स्लॉटों के लिए ग्राह्य नि.वा.स. की अनुमति होगी।

दू.द.के., मुम्बई ने कोई शुल्क प्रभारित किए बिना आधे घंटे की अवधि के दो कार्यक्रमों 'यशवंतराव चवन मुक्त विद्यापीठ' तथा 'बालचित्रवाणी' प्रसारित किये जिसका परिणाम अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2004 तक की अवधि के लिए 50.40 लाख रु. से अधिक के राजस्व की हानि में हुआ। केन्द्र ने बताया (जनवरी 2006) कि प्रसारण म.नि. दूरदर्शन के निर्देशों के अनुसार किया गया था तथा इन कार्यक्रमों को राज्य शासित निकायों द्वारा दिया गया था, जो लाभ-निरपेक्ष संगठन थे। केन्द्र का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दर कार्ड में जन प्रसारण सेवा के लिए निर्धारित छूट दरों पर प्रसारण शुल्क की वसूली के लिए विशेष रूप से व्यवस्था है।

दू.द.के. हैदराबाद ने आन्ध्रप्रदेश सरकार के अनुरोध पर निःशुल्क लागत के रायथू महिला जन्मभूमि (250 सैकेंड), गोदावरी पुष्कर्म (290 सैकेंड) तथा जलचैतन्यम् (193 सैकेंड) से सम्बन्धित म्यूजिक वीडियो प्रसारित किए। दू.द.के. में म्यूज़िक वीडियो कितनी बार प्रसारित किया गया इसका कोई रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया गया है। इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व की हानि की मात्रा का निर्धारण नहीं कर सका।

6.1.1.10 प्रस्तावों के संसाधन में विलम्ब

दूरदर्शन की प्रायोजकता योजना के अंतर्गत टी.वी. कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बाह्य निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार, संसाधन तथा अनुमोदन के लिए 1 जुलाई 2004 से लागू

दूरदर्शन की दिशानिर्देश सं. 1/7/2001-पी-1 के अनुसार, प्रसारण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का संसाधन 13 सप्ताह के अन्दर तैयार होनी चाहिए। दू.द.के. भुवनेश्वर ने 2001-02 से 2004-05 के दौरान 452 प्रस्ताव प्राप्त किए। इनमें से 30 नवम्बर 2005 तक 56 प्रस्तावों का संसाधन नहीं किया गया था। 'तसारा घड़ा' नामक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए 7 सितम्बर 2002 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और 130 दिनों के लिए 26 कड़ियों (प्रत्येक के 5 भाग) के लिए स्वीकार किया गया (10 सितम्बर 2002)। निर्माता को पायलट कड़ियां प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिन्हें नवम्बर 2002 में निर्मित एवं प्रस्तुत किया गया था। तथापि, निर्माता संसाधन में विलम्ब के कारण एक निजी चैनल के पास चला गया। दू.द.के. भुवनेश्वर ने भी इस आधार पर प्रस्ताव को संसाधन के बिना समाप्त कर दिया (सितम्बर 2004) कि "धारावाहिक पहले से ही एक निजी चैनल पर चल रहा था"। इस प्रकार, निर्माता दू.द. के अहित में, निजी चैनल के पास चला गया।

6.1.1.11 अनुशंसाएं

- *दू.द. को प्रत्येक केन्द्र के संभाव्य को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी राजस्व लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, राजस्व सृजन की समय-समय पर समीक्षा हेतु उचित मानीटरिंग पद्धति निर्धारित करनी चाहिए और समयपूर्वक उस समीक्षा पर आधारित शोधक कार्रवाई समय पर करनी चाहिए।*

- *न केवल निर्माता द्वारा उपयोग किए गए वाणिज्यिक समय पर ध्यान रखने के लिए बल्कि कार्यक्रम विषय वस्तु की अवधि को भी देखने के लिए एक पद्धति विकसित करनी चाहिए।*

6.1.2 वित्तीय प्रबन्धन

6.1.2.1 दरों को गलत तरीके से लागू करने के कारण प्रसारण शुल्क का कम प्रभारित किया जाना

दर कार्ड के अनुसार यदि कार्यक्रम प्राइम टाइम[6] पर आरंभ होता है, तो कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्राइम टाइम के लिए लागू दर प्रभारित करनी होती है। तथापि दू.द.के. मुम्बई ने शुक्रवार को प्राइम टाइम पर प्रसारित मराठी फीचर फिल्म के लिए प्रथम प्रायोजकता घंटे के लिए प्राइम टाईम दर तथा शेष अवधि के लिए गैर प्राइम टाईम दर प्रभारित की। इसका परिणाम सितम्बर 2004 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान 9.12 लाख रु. की हानि में हुआ।

6.1.2.2 निजी निर्माताओं को अनुचित लाभ

न्यूनतम गारंटी[7] (न्यू.गा.) पद्धति के अंतर्गत कार्यक्रम प्रायोजित करने वाले अभिकरणों एकमुश्त राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं जिसके लिए वे एक नियत अवधि का

---

[6] प्राइम टाईम, डीडी-I पर टाइम बैंड अर्थात सभी दिनों में सायं 8 बजे से सायं 11 बजे तक तथा प्रातः 9 बजे से अप. 1.00 बजे तक (रविवार) तथा डीडी-2 पर सायं 8.00 बजे से सायं 10.30 बजे तक (सभी दिनों में) जब दर्शनार्थी अधिकतम होते हैं।

[7] दू.द. ने 1995 में न्यूनतम गारन्टी (न्यू.गा.) योजना आरंभ की जिसके द्वारा निर्माताओं को कार्यक्रम के प्रसारण हेतु "न्यूनतम एकमुश्त राशि" का भुगतान करना अपेक्षित है तथा उसके बदले में उन्हें कुछ अतिरिक्त वाणिज्यिक समय दिया जाता है।

निःशुल्क वाणिज्यिक समय प्राप्त करने की हकदार होते हैं। धारावाहिक 'दामिनी' 190 सैकेंड के नि.वा.स. सहित 66,000 रु. प्रति कड़ी की न्यू. गा. राशि के साथ प्रसारित किया जाना था। दू.द. ने 01 सितम्बर 2001 से दर कार्ड में संशोधन किया जिसमें स्पॉट खरीदने की दर 14,000 रु. से घटाकर 7,000 रु. कर दी थी। दर कार्ड ने दुबारा प्रसारण के लिए 30 सैकेंड के बोनस का लाभ भी वापस ले लिया तथा बोनस केवल सैटेलाइट चैनल पर प्रीमियर प्रसारण के लिए अनुमत किया। नए दर कार्ड के लागू होते ही अभिकरण ने तत्काल दू.द.के., मुम्बई को प्रसारण शुल्क 66,000 रु. से घटाकर 42,000 रु. करने का अनुरोध किया। दू.द. ने 29 अक्तूबर 2001 से प्रसारण शुल्क घटा दिया हालांकि नए दर कार्ड में यह विशेष रूप से उल्लिखित था कि न्यू.गा. कार्यक्रमों के मामले में यह दर कार्ड उस स्थिति में लागू नहीं किया जाएगा जिससे दू.द. को वित्तीय हानि हो। इसका परिणाम दू.द. को 29.04 लाख रु. की हानि में हुआ। इसी प्रकार दू.द. के. हैदराबाद के चार मामलों में प्रायोजकता शुल्क घटाया गया था जिसका परिणाम 14.73 लाख रु. की हानि में हुआ।

6.1.2.3 अनियमित कमीशन प्रदान करना

(i) दू.द.के. मुम्बई ने अगस्त 2000 से रविवार की फिल्मों तथा जनवरी 2004 से शनिवार की फिल्मों के लिए बोली प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् मराठी फीचर फिल्मों के विपणन अधिकार देने प्रारंभ किये। बोलियां आमंत्रित की गई थी तथा अन्य बातों के साथ-साथ विपणन अभिकरणों को न्यू.गा. राशि हेतु बोलियां देना भी अपेक्षित था। बोली-प्रलेख में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि न्यू.गा. पर कोई कमीशन देय होगा। परन्तु अप्रैल 2001 तथा जून 2005 के बीच दो अभिकरणों के साथ समझौता करते समय केन्द्र ने बोली आवेदन पत्र में निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों में संशोधन किया तथा बोलीदाता के अनुरोध पर 'न्यू.गा.' शब्द को 'सकल' शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया। चूँकि कमीशन का भुगतान 'सकल' राशि में से किया जा सकता था इसलिए उसने न्यूनतम बोली राशि से 15 प्रतिशत कमीशन की कटौती करने की अनुमति दी। इस प्रकार बोली शर्त में अप्राधिकृत संशोधन करने का परिणाम 2.41 करोड़ रु. के अनियमित कमीशन प्रदान करने में हुआ।

केन्द्र ने बताया (अक्तूबर 2005) कि कमीशन दर कार्ड के अनुसार दिया गया था तथा यदि कमीशन का भुगतान नहीं किया गया तो अभिकरण बोली नहीं लगाते। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कमीशन केवल तभी दी जा सकती है यदि वह बोली आवेदन पत्र में दर्शाई गई हो। सामान्य रूप में दर कार्ड में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि अभिकरणों को 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। यह सिद्धान्त बोली की प्रक्रिया जो बोली प्रलेख की निबन्धन एवं शर्तों द्वारा शासित होती है, में सही नहीं रहता। इसके अतिरिक्त अभिकरणों द्वारा उद्धृत राशि 'न्यूनतम गारंटी राशि' थी तथा उसकी 'सकल' के अर्थ के रूप में गलत ब्याख्या नहीं की जा सकती। बोली प्रलेखों में उल्लिखित विनिर्देशों के विरुद्ध समझौतों में 15 प्रतिशत कमीशन के भुगतान की धारा के अप्राधिकृत रूप से समाविष्ट किए जाने का परिणाम अभिकरणों को अनुचित लाभ तथा दू.द. को 2.41 करोड़ रु. की हानि में हुआ।

(ii) इसी तरह, दू.द.के. अहमदाबाद ने 2001-05 की अवधि के दौरान न्यू.गा. राशि पर 21.57 लाख रु. का कमीशन अनुमत किया, जो सही नहीं था। दू.द.के. कोलकाता ने खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से दो निर्माताओं के साथ उनके प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए समझौते किए। समझौते के अनुसार निर्माता की पदनामित विज्ञापन अभिकरणों को कार्यक्रमों के प्रसारण से 48 घंटे पहले प्रायोजकता संविदाएं प्रस्तुत करनी थी। केन्द्र ने नवम्बर 2002 से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान इन अभिकरणों को 83.53 लाख रु. का कमीशन अनुमत किया। चूँकि कार्यक्रम खुली निविदा के माध्यम से निर्माताओं को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए थे इसलिए अभिकरणों को कमीशन अनुमत करना अनियमित था।

मंत्रालय/विभाग जन रूचि उद्देश्यों पर 25 प्रतिशत, यदि वार्षिक वचनबद्धता 2 करोड़ रु. तथा उससे अधिक है तो 30 प्रतिशत और यदि वार्षिक वचनबद्धता 5 करोड़ रु. तथा उससे अधिक है तो 40 प्रतिशत की रियायत देने के हकदार हैं। तथापि दू.द.के. हैदराबाद ने मार्च 2001 से नवम्बर 2001 में आयुक्त, लघु बचत, आन्ध्रप्रदेश सरकार को 59.05 लाख रु. के कार्यक्रम पर 25 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत की रियायत अनुमत की। इसका परिणाम 14.76 लाख रु. की अनियमित अधिक रियायत देने में हुआ। इसी प्रकार दू.द.के. भुवनेश्वर ने 13 मामलों में अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक 40 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत की रियायत अनुमत की जिसका परिणाम 7.83 लाख रु. के राजस्व की हानि में हुआ।

(iii) केवल अधिकृत और मान्यताप्राप्त अभिकरण ही उनके द्वारा दू.द. के पास दर्ज किए गए कार्यक्रम पर 15 प्रतिशत का कमीशन प्राप्त करने की हकदार हैं। तथापि, दू.द.के. जयपुर ने दिसम्बर 2002 से दिसम्बर 2004 के दौरान गैर-हकदार अभिकरणों को 1.80 लाख रु. का कमीशन अनियमित रूप से अनुमत किया।

ऊपर दर्शाए गए छः दू.द.के. द्वारा अनियमित रूप से अनुमत कुल कमीशन 3.70 करोड़ रु. था जिसकी गणना नीचे की गई है।

तालिका 4: दू.द.के. द्वारा अनुमत किया गया अनियमित कमीशन

(लाख रु. में)

दू.द.के.	राशि
मुम्बई	240.97
अहमदाबाद	21.57
कोलकाता	83.53
हैदराबाद	14.76
भुवनेश्वर	7.83
जयपुर	1.80
योग	**370.46**

6.1.2.4 बैंक गारंटी की राशि निर्धारण करने की त्रुटिपूर्ण प्रणाली

समझौते में निर्माता को ग्यारह सप्ताहों (ढाई महीने) के प्रसारण शुल्क के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, एक विशेष माह में प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में प्रसारण शुल्क, प्रसारण माह के बाद वाले माह के पहले दिन से 75वें दिन तक देय है। इस तरीके से जब पहले माह में प्रसारित कार्यक्रम के लिए शुल्क कानूनी रूप से देय हो जाता है, तो कार्यक्रम साढ़े तीन महीने पहले प्रसारित हुआ होना चाहिए। इस प्रकार, यदि कोई अभिकरण चूककर्ता के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो बैंक गारंटी को शीघ्र भुनाकर भी एक माह के शुल्क के बराकर प्रसारण शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि बैंक गारंटी की राशि अभिकरणों को प्रसारण शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुमत की गई अवधि के अनुरूप नहीं है।

दू.वा.से. ने बताया (जून 2006) कि कई मामले ऐसे थे जिनमें बैंक गारंटियां भुनाई गई थीं और उसने आगे बताया कि बकाया राशि की वसूली अधिकृत अभिकरणों से भी की जा सकती है जिन्होंने 25 लाख रु. की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मुद्दा प्रसारण शुल्क का भुगतान करने के लिए अभिकरणों को अनुमत की गई अवधि की तुलना में बैंक गारंटी की पर्याप्तता से संबंधित है। 25 लाख रु. की गारंटी प्रत्यायन स्थिति के लिए है तथा किसी विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। किसी अभिकरण के प्रत्यायन के प्रति उसकी ओर से कई कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते हैं तथा उसके देय 25 लाख रु. से अधिक हो सकते हैं।

6.1.2.5 क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट के प्रेषण में विलम्ब

क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रसारित वाणिज्यिक विज्ञापनों के बिल बनाने का कार्य जनवरी 1995 से विकेन्द्रीयकृत हो गया था। अभिकरणों द्वारा इन बिलों के प्रति भुगतान दू.द. नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने थे। डिमाण्ड ड्राफ्टों को वसूल करके इनकी दू.वा.से. को भेजने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वसूल करने में विलम्ब हुआ। 12 स्टेशनों में विलम्ब 1 दिन से 619 दिनों के बीच था जैसाकि तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका: 5 क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्टों के प्रेषण में विलम्ब

क्र. सं.	दू.द.के.	विलम्ब की अवधि	मामलों की सं.
1	श्रीनगर	7 से 619 दिन	3369
2	भुवनेश्वर	1से 51 दिन	1031
3	कोलकाता	30 दिनों से अधिक	402
4	थिरूवनन्तपुरम	15 दिन से 90 दिन	357
5	जालंधर और चण्डीगढ	5 से 119 दिन	356
6	पटना	2 से 162 दिन	239
		332 से 425 दिन	3
7	रांची	2 से 105 दिन	103
8	चेन्नई	32 से 173 दिन	63
9	गुवाहाटी	5 से 57 दिन	24
10	पीपीसी (उ.पू.)	8 से 75 दिन	17
11	हिसार (हरियाणा)	15 से 60 दिन	11
12	पणजी	22 से 64 दिन	9

इसके अतिरिक्त, दू.वा.से., डिमाण्ड ड्राफ्टों के ब्यौरे दर्शाए बिना, एक बैच की केवल कुल राशि भेज रहा था जो दू.दू.के. में किसी समाधान को सरल नहीं बनाता। अतः यह पता लगाना संभव नहीं था कि क्या दू.वा.से. द्वारा सभी डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त करके बैंक में क्रेडिट हो गए थे। 2001-05 के दौरान दू.द.के. हैदराबाद ने दू.वा.से. दिल्ली को 23.64 करोड़ रु. के 2452 ड्राफ्ट भेजे। तथापि, 25 अक्तूबर 2001 से 19 अक्तूबर 2004 की अवधि के दौरान 3.93 करोड़ रु. के केवल 428 ड्राफ्टों की प्राप्ति की ही पुष्टि हुई थी। दू.द.के. हैदराबाद से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। दू.द.के. जालंधर द्वारा दू.वा.से. दिल्ली के साथ कोई समाधान भी नहीं किया गया था। बैंक ड्राफ्टों का समाधान न होने के कारण प्र.भा. को लोक निधियों का धोखा और गबन करने का खतरा हो सकता है।

6.1.2.6 प्रत्यायन रद्द करने में विफलता

दूरदर्शन मैनुअल की निबंधन एवं शर्तों से संबंधित अनुसूची 'ख' की शर्त 18 (क) के अनुसार अभिकरण यदि एक वर्ष में तीन बार से अधिक निर्धारित तिथि तक अथवा निर्धारित क्रेडिट अवधि के पश्चात् 45 दिनों के भीतर मासिक बिलों का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उनका प्रत्यायन स्वतः रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन, उसको देय सभी राशियों, जिसका निर्धारित क्रेडिट अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, पर मार्च 2003 तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा अप्रैल 2003 के बाद से 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करने का हकदार है। ब्याज भुगतान की नियत तिथि के बाद वाले दिन से प्रभारित और मासिक आधार पर संगणित किया जाना होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2005 तक 15 केन्द्रों में 513.38 करोड़ रु. के देय बकाया थे जिसके विस्तृत ब्यौरे तालिका 6 में दिए गए हैं।

तालिका 6: बकाया देय

केन्द्र का नाम	राशि (करोड़ रू. में)	टिप्पणी
हैदराबाद	7.98 (4.01 मू.+ 3.97ब्या)	किसी मामले में कानूनी प्रक्रियाएं प्रारंभ नहीं की गई है। छः अभिकरणों (देय राशि 48.50 लाख रू.) के पतों का पता नहीं किया जा सका।
कोलकाता	46.01 (32.15 मू. + 13.86 ब्या)	30 अभिकरण जो अधिकांश देयों के लिए उत्तरदायी थे में से थे, केवल दो व्यवसाय में थे। यद्यपि केन्द्र का पृथक कानूनी अनुभाग था, उसने मार्च 2002 एवं मार्च 2004 में 25 चूककर्ता अभिकरणों को जारी कानूनी नोटिस पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की थी।
जयपुर	1.46 (1.11 मू. + 0.35 ब्या)	50.78 लाख रू. वर्ष 1995-2003 से सम्बन्धित है।
भुवनेश्वर	2.39 (1.90 मू. + 0.49 ब्या)	देय 1995-2005 से सम्बन्धित हैं। 42.03 लाख रू. के बकाया देय सहित 3 अभिकरणों के पता-ठिकानों की जानकारी नहीं थी।
मुम्बई	19.67 (10.73 मू. + 8.94 ब्या)	109 अभिकरणों के प्रति देय 1994-95 से 2004-05 तक सम्बन्धित है। 284.07 लाख रू. के देय सहित 29 अभिकरणों ने विवाचन के लिए नोटिस का अभ्युत्तर नहीं दिया था। केन्द्र को 16.91 लाख रू. के देय सहित 11 अभिकरणों के पते ठिकाने की जानकारी नहीं थी।
गुवाहाटी(पीपीसी-उ.पू. सहित)	0.80 (0.52 मू. + 0.28 ब्या)	देय 1996-97 से 2004-05 से सम्बन्धित थे। यद्यपि दू.वा.से. को चूककर्ता अभिकरणों के बारे में सूचित किया गया था, परन्तु अनुदेशों के अभाव में केन्द्र द्वारा प्रसारण को नहीं रोका गया था।

केन्द्र का नाम	राशि (करोड़ रू. में)	टिप्पणी
चण्डीगढ़ एवं जालंधर	4.16 (2.47 मू. + 1.69 ब्या)	244.37 लाख रू. 2000-01 के पूर्व से सम्बन्धित है।
थिरूवनन्तपुरम	17.25 (16.43 मू. + 0.82 ब्या)	376.56 लाख रू. 2000-01 के पूर्व से सम्बन्धित है।
पटना	1.97 (1.23 मू. + 0.74 ब्या)	113.83 लाख रू. 2000-01 के पूर्व से सम्बन्धित है।
बंगलौर	10.65 (5.46 मू. + 5.19 ब्या)	954.80 लाख रू. 2000-01 के पूर्व से सम्बन्धित है।
चेन्नई	6.97 मू.[8]	499.66 लाख रू. 2001 के पूर्व से सम्बन्धित है।
अहमदाबाद	2.15 (1.77 मू. + 0.38 ब्या)	1996 से 2005 की अवधि से सम्बन्धित है। 66.29 लाख रू. 33 अभिकरणों से देय था जो ब्यापार में नहीं थे। केन्द्र की पृथक कानूनी कक्ष होने के बावजूद कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।
भोपाल	1.27 (0.84 मू. + 0.43 ब्या)	देय 1995-2005 से सम्बन्धित है। तीन अभिकरणों को मार्च 1995 से जनवरी 1999 के देयों का भुगतान किए बिना मार्च 2005 तक कार्य करने की अनुमति दी गई।
लखनऊ	3.10 मू.	19 फर्मों से 62.40 लाख रू. बकाया है।
दिल्ली	387.55 (287.81 मू. + 99.74 ब्या)	54 अभिकरणों से सम्बन्धित 183.90 करोड़ रू. के देय के बारे में मुकदमे चल रहे थे।
योग	**513.38 (376.50 मू. + 136.88 ब्या)**	

मू - मूलधन ब्या. - ब्याज

समयपूर्वक अभिकरणों के प्रत्यापन को रद्द करके अथवा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करके समस्या के महत्वपूर्ण भाग को सुलझाया जा सकता था। विभाग द्वारा चूक अथवा बकाया देयों की वसूली के लिए विलम्बित कार्रवाई करके कुछ मुख्य मामले **अनुबन्ध 2** में दिए गए हैं।

6.1.2.7 ब्याज का अनुद्ग्रहण/अवसूली

दू.द. नियमावली के पैराग्राफ 10.4.2 के अनुसार अधिकृत अभिकरणों के बिलों को इस प्रकार तैयार और प्रेषित किया जाये ताकि वे प्रसारण के माह के बाद के महीने की 10 तारीख तक अभिकरणों के पास अवश्य पहुंच जाये। अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर अदा न की गई सभी राशियों पर 31 मार्च 2003 तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और 1 अप्रैल 2003 से 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाना है। ब्याज को भुगतान की नियत तिथि के बाद के दिन से प्रभारित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दू.वा.से. दिल्ली में 70 प्रतिशत कोलकाता में 62 प्रतिशत और भोपाल में 30 प्रतिशत बिलों को नियत तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। कोलकाता में एक मामले में एक वर्ष के लिए विलंब था, दू.वा.से. में 30 मामलों में विलंब छः माह था, पटना में 76 मामलों में एक से सोलह माह तक विलम्ब था और

[8] देय ब्याज की गणना नहीं की गई थी और इसे दू.द.के. द्वारा अनुरक्षित मूल अभिलेखों में से किसी में भी नहीं दिखाया गया था।

हैदराबाद में एक मामले में विलम्ब इक्कीस महीनों का था। दिल्ली, भोपाल, पटना, कोलकाता और हैदराबाद में 2001-05 की अवधि के नमूना जांच किये गये मामलों में ब्याज की हानि 17.93 लाख रू. थी।

आगे नौ दू.द.के. के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विलम्ब अवधि के लिए 33.23 लाख रू. के ब्याज की हानि को, अभिकरणों से विलम्ब भुगतान के लिए वसूल नहीं किया गया था जैसे तालिका 7 में विवरण दिया गया है।

तालिका 7: विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न होना

(लाख रू. में)

दू.द.के.	राशि
मुम्बई	15.86
जयपुर	3.98
जालंधर एवं चण्डीगढ़	3.22
थिरूवनन्तपुरम	3.20
भुवनेश्वर	2.95
अहमदाबाद	1.81
चेन्नई	1.75
श्रीनगर	0.34
इम्फाल	0.12
योग	**33.23**

6.1.2.8 ब्याज की कम वसूली

दूरदर्शन नियमावली की अनुसूची 'ब' में निहित निबंधन एव शर्तों के अनुसार, प्रसार भारती को देय सभी राशियों, जिन्हें अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर अदा नहीं किया गया था, पर ब्याज के भुगतान के लिए अधिकृत अभिकरण उत्तरदायी होगें। आगे, अभिकरणों द्वारा विज्ञापन/प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए निष्पादित वाणिज्यिक संविदा में विशेष उल्लेख है कि भुगतान की देय तिथि के बाद के दिन से ब्याज को प्रभारित किया जायेगा और उसे मासिक आधार पर परिकलित किया जायेगा। अप्रैल 2005 में प्रसार भारती बोर्ड की मंजूरी के साथ वाणिज्यिक सेवाओं ने माह के कुछ दिनों को पूरा महीना मानने की बजाए दिनों की संख्या के अनुसार विलम्ब की वास्तविक अवधि के आधार पर ब्याज को प्रभारित करने का निर्णय लिया गया। दू.वा.से. नई दिल्ली ने सात मामलों (अप्रैल 2005 से पूर्व) में बकाया मांग पर ब्याज को परिकलित करते समय संशोधित प्रणाली को पूर्वप्रभावी रूप से लागू किया। इसका परिणाम 66.30 लाख रू. के ब्याज की कम वसूली में हुआ जैसा तालिका 8 में विवरण दिया गया है।

तालिका 8: ब्याज की कम वसूली

(लाख रू. में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	मासिक आधार पर दू.वा.से. द्वारा परिकलित ब्याज	दू.वा.से. द्वारा दिनों की वास्तविक संख्या पर परिकलित ब्याज	मांग में अन्तर
1	रीजननेबल एडवरटाइजिंग प्रा.लि.	125.71	95.34	30.37
2	निम्बस कम्यूनीकेशन लि.	194.25	181.27	12.98

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	मासिक आधार पर दू.वा.से. द्वारा परिकलित ब्याज	दू.वा.से. द्वारा दिनों की वास्तविक संख्या पर परिकलित ब्याज	मांग में अन्तर
3	ट्राटोन कम्यूनीकेशन प्रा.लि.	91.84	81.82	10.02
4	मुद्रा कम्यूनिकेशन	22.75	14.33	8.42
5	टाईम मैगनेटिक्स (इ.) लि.	22.19	19.08	3.11
6	यूनिवर्सल कम्यूनिकेशन प्रा.लि.	10.26	9.00	1.26
7	आशा कम्यूनिकेशन	2.52	2.38	0.14
योग		**469.53**	**403.23**	**66.30**

6.1.2.9 सेवाकर का अनुद्ग्रहण/स्रोत पर कर की कटौती न करना

दू.द., 1 अप्रैल 2003 से सेवाकर उगाहने के लिए उत्तरदायी है। सेवाकर के भुगतान को दू.वा.से. नई दिल्ली में केन्द्रीयकृत किया गया है। नमूना जांच से पता चला कि आठ केन्द्रों में अप्रैल 2003 से मार्च 2005 तक 4.22 करोड़ रू. का सेवाकर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। आगे, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार इससे अभिकरणों को देय कमीशन में से स्रोत पर कर की कटौती करना भी अपेक्षित है। तथापि, दू.वा.से. दिल्ली और नौ दू.द.के. ने अप्रैल 2001 से मार्च 2005 के दौरान बिलों को तैयार करते समय अभिकरणों को देय कमीशन में से स्रोत पर 9.34 करोड़ रू. कर की कटौती नहीं की थी जैसा तालिका 9 में विवरण दिया गया है।

तालिका 9: सेवाकर का अनुद्ग्रहण एवं स्रोत पर कर की कटौती न करना

(लाख रू. में)

केन्द्र का नाम	सेवाकर अनुद्ग्रहण		स्रोत पर कर का अनुद्ग्रहण
	अवधि	राशि	
दू.वा.से. दिल्ली	-	-	789.84
मुम्बई	अप्रैल 2003 से मार्च 2005	182.76	66.40
कोलकाता	मई 2003 से जून 2003	24.58	-
जालन्धर	अप्रैल 2003 से मार्च 2005	4.10	36.54
चेन्नई	-	-	18.79
हैदराबाद	अप्रैल 2003 से मार्च 2004	83.58	10.89
भुवनेश्वर	अप्रैल 2003 से मार्च 2005	38.53	6.25
भोपाल	-	-	3.27
गुवाहटी	-	-	0.62
जयपुर	-	-	0.60
पी पी सी (एन ई)	अप्रैल 2004 से मार्च 2005	0.28	0.33
श्रीनगर*	सितम्बर 2002 से मार्च 2005	87.61	-
वाराणसी एवं गोरखपुर	अप्रैल 2003 से मार्च 2004	0.22	-
योग		**421.66**	**933.53**

***राज्य सरकार को केन्द्रीय सेवाकर से छूट है परन्तु 4.2 प्रतिशत की दर से राज्य सेवाकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।**

दू.वा.से., दिल्ली ने उत्तर दिया (जून 2006) कि अप्रैल 2003 से जुलाई 2003 की अवधि के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) प्रसार भारती की कर देयता के बारे में स्पष्ट नहीं था। मई 2003 में बोर्ड ने सूचित किया कि प्र.भा. 1 अप्रैल 2003 से सेवाकर के

लिए उत्तरदायी था। दूरदर्शन ने संशोधित बिल जारी करके सेवाकर वसूल किया और राज्य के राजकोष को अदा किया। उसने अपनी निधियों में से बोर्ड को कोई सेवाकर अदा नहीं किया। तथापि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित आठ केन्द्रों में सेवाकर की न तो वसूली की गई न ही सरकार को अदा किया गया जैसा कि सांविधिक अपेक्षित था।

कमीशन पर स्रोत पर कर की कटौती के सम्बन्ध में, दू.वा.से. ने बताया (जून 2006) कि उसका कमीशन पर स्रोत पर कर की कटौती के भुगतान की देयता पर विवाद था। दूरदर्शन ने विभिन्न मंचों पर अपील दायर की और आइ टी ए टी ने प्र.भा. के पक्ष में अपना फैसला दिया था।

6.1.2.10 अनुशंसाएं

- *प्रसार भारती या तो बैंक गारन्टी की राशि को बढ़ाये या भुगतान के लिए अनुमत अवधि को कम करे अथवा दोनों को लागू करें ताकि अभिकरणों के चूककर्ता बनने के मामले में भी बकाया प्रसारण शुल्क की वसूली बैंक गारन्टी को भुनाकर वसूल की जा सके।*

- *यदि ड्राफ्ट जमा करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए बैंक खाता खोला जाए तो आसानी से समाधान और नजदीक से मानीटर करने की सुविधा के अतिरिक्त राजस्व की वसूली में विलम्ब और इस कारण से ब्याज की हानि को रोका जा सकता है।*

- *प्रसार भारती को चूककर्ता अभिकरण से बकाया देयों की वसूली के लिए विशिष्ट एवं समयबद्ध कार्य योजना बनानी चाहिए।*

6.1.3 संसाधन प्रबन्धन

6.1.3.1 स्टुडियो का कम उपयोग

दू.द.के., चेन्नई में, चार स्टुडियो में से दो का उपयोग एक पाली के लिए था और एक का उपयोग एक पाली के लिए उपलब्ध समय का लगभग 10 प्रतिशत के लिए था। दू.द.के., कोलकाता में एक डिजिटल रिकार्डिंग स्टुडियो का उपयोग 2002 तथा अक्तूबर 2005 के बीच केवल 1494 घंटे के लिए किया गया था जो कुल उपलब्ध घंटों का 18 प्रतिशत था। दू.द.के., अहमदाबाद (गुजरात) रिकार्डिंग स्टुडियो का 2002-05 के दौरान उपलब्ध 11680 घंटों में से 910 घंटों (7.79 प्रतिशत) के लिए उपयोग कर सका। दू.द.के. थिरूवनन्तपुरम में 2.95 करोड़ रू. की लागत पर कोजीकोड में अगस्त 2002 में स्थापित स्टुडियो, दिसम्बर 2005 तक प्रारंभ नहीं किया गया था।

यद्यपि प्रति घण्टे की दर पर निजी पार्टीयों को स्टुडियो किराये पर देने का प्रावधान था, केवल दू.द.के. चेन्नई में एक स्टुडियो किराये पर एक बार दिया गया था और पिछले चार वर्षों के दौरान अर्जित किराया प्रभार 1.15 लाख रू. था। लेखापरीक्षा में यह विश्लेषण किया गया कि निष्क्रिय क्षमता का कारण मांग का अभाव और निजी स्टुडियो के मुकाबले स्टुडियो सुविधाओं की उच्च दरें थी।

6.1.3.2 वेबसाईट पर प्रकाशित और दूरदर्शन द्वारा अनुरक्षित बकाया देय के बीच अन्तर

दूरदर्शन ने अपनी वेब साईट (www.ddindia.gov.in/ddprogram/viewdata.aspx) पर 15 अगस्त 2005 तक **(अनुबन्ध 3)** 218.84 करोड़ रू. की बकाया राशि के लिए 87 चूककर्ताओं के नामों की लिस्ट को दर्शाया। तथापि दूरदर्शन के अभिलेखों के अनुसार 24 चूककर्ताओं के मामलों में दर्शाई गई राशियों के सम्बन्ध में अन्तर था। दू.वा.से., नई दिल्ली के मामले में 17 मामलों में 29.46 करोड़ रू. का अन्तर था और दू.द.के मुम्बई के मामले में सात मामलों में 16.58 लाख रू. का अन्तर था जैसा कि **अनुबन्ध 4** में विवरण दिया गया है।

6.1.3.3 अभिलेखों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि दू.वा.से. द्वारा देयों के अभिलेखों का अनुरक्षण खराब था। बकाया देयों को अग्रेनित करके संचयी शेषों को नहीं लिखा गया और सक्षम प्राधिकारी ने हस्ताक्षर भी नहीं किये हुए थे। इनकी वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा समीक्षा भी नहीं की गई थी। 1996 से 1999 के दौरान प्रस्तुत बिलों से सम्बन्धित 24.89 करोड़ रू., जिनकी वसूली नहीं हुई थी, को बकाया देयों की सूची में वसूली योग्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये देयों को दू.वा.से. के नोटिस में नहीं थे और यह इस कारण हुआ क्योंकि एजेटों के लेजर का उपयुक्त अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। दू.वा.से. ने उत्तर दिया (जून 2006) कि पूरे अभिलेखों इत्यादि की अनुपलब्धता के बावजूद 1996-99 की अवधि के लिए लेजर को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे थे। चूंकि अवधि बहुत पुरानी थी, इसमें अधिक समय लग रहा था। चालू लेजर का अनुरक्षण किया जा रहा था।

इसी प्रकार वर्ष 2001-02 से 2004-05 के लिए दू.द.के., जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि म.नि. दूरदर्शन को सूचित देयों की सूची में 46.10 लाख रू. शामिल नहीं किये गये थे।

6.1.3.4 आंतरिक नियंत्रण

18 दू.द.के. के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि एजेन्ट लेजर, रोकड़ बही, दैनिक प्रसारण शीट[9] वैल्युएबल रजिस्टर, बिल रजिस्टर, सारांश शीट, बैंक नि.वा.स. लेजर, प्रसारण सारांश इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेखों/रजिस्टरों का या तो अनुपयुक्त ढंग से अनुरक्षित किया गया था अथवा आरक्षण ही नहीं किया गया था। आगे, प्रसार भारती (2000 से आगे) की स्थापना से अधिकांश मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा को भी संचालित नहीं किया गया था। उपयुक्त मानीटरिंग और आंतरिक नियंत्रण के अभाव में राजस्व की व्यापक हानि हुई। उपरोक्त में दर्शाये गये मामलों के अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये कुछ मामलों का विवरण तालिका 10 में दिया गया है तथा 1.12 करोड़ रू. की हानि आवृत है।

[9] दैनिक प्रसारण शीट एक दिन में प्रसारण किये जाने वाले कार्यक्रम की विवरणी है।

तालिका 10: 2001-05 की अवधि के दौरान राजस्व की हानि

(लाख रू. में)

क्र.सं.	अनियमितता की प्रकृति	राशि
1	बिल प्रस्तुत न करना (आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मुम्बई)	66.87
2	कम बिल प्रस्तुत करना (मुम्बई, इम्फाल, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली)	16.91
3	सकल राशि में सेवाकर को शामिल करने के कारण अधिक कमीशन का भुगतान (मुम्बई)	9.46
4	संसाधन शुल्क पर अनियमित कमीशन प्रदान करना (जम्मू एवं कश्मीर)	6.64
5	पुनः प्रसारण के लिए शुल्क का अनुद्ग्रहण (चेन्नई, पटना)	6.18
6	बारटर लेन-देन पर अधिक लाभ देना (मुम्बई)	2.52
7	ड्राफ्ट को जमा न करना (उड़ीसा)	1.82
8	संशोधित बिलों के भुगतान की देय तिथि के बदलने से ब्याज की हानि (दिल्ली, उत्तर प्रदेश)	0.95
9	बिल रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण देयों की अवसूली (आंध्र प्रदेश)	0.69
10	संविदा के बिना प्रसारण (आंध्र प्रदेश)	0.29
	योग	**112.33**

6.1.3.5 अनुशंसाएं

- *दू.वा.से. को नियमावली में अनुबद्ध प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए। विभिन्न अभिकरणों के प्रति वास्तविक बकाया राशि की जानकारी लेने के लिए अभिलेखों का उपयुक्त अनुरक्षण एवं आवधिक समाधान करने की आवश्यकता है। राजस्व की हानि को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है।*

- *प्रसार भारती को गलत दरों इत्यादि को प्रभारित करने के कारण अभिकरणों को अनुचित लाभ की अनुमति देने के मामलों का पता लगाने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रक प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।*

6.2 आकाशवाणी

आकाशवाणी विभिन्न स्टेशनों से अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के माध्यम से लोगों को जानकारी, शिक्षा, और मनोरंजन प्रदान करती है। यह संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य-विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा ध्वनि प्रसारण के माध्यम से देशभर के लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह देश के सभी भागों में लोगों को सामयिक रूचि की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत करता है। यह एक वाणिज्यिक सेवा भी चलाता है जो विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करता है। इसके पास प्रवासी श्रोताओं के लिए बाह्य सेवा कार्यक्रम है।

6.2.1 विपणन प्रबन्धन

6.2.1.1 राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

राजस्व की वसूली में वर्ष-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण तालिका 11 एवं चार्ट 2 में दिया गया है।

तालिका 11: वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(करोड़ रू. में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
2001-02	121.64	96.68
2002-03	120.00	102.25
2003-04	126.00	117.69
2004-05	251.15	136.00

चार्ट 2: वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

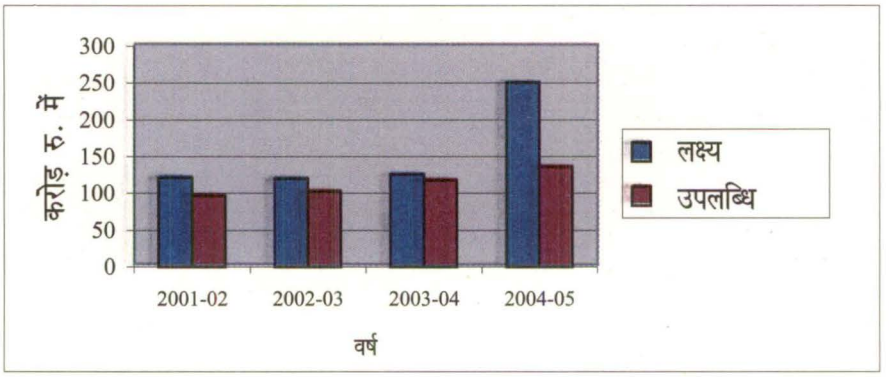

एक अनुसंधान के आधार पर 2004-05 के लिए पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर नहीं आपतु उनकी बाजार सम्भावना के अनुसार स्टेशनों के समूहीकरण के यौक्तिकीकरण का निर्णय लिया गया। तदनुसार राजस्व लक्ष्य भी नियत किए गए। परन्तु आ.वा. शहरों की बाजार सम्भावना का दोहन नहीं कर सका। यह 15 वा.प्र.से. और एक के.बि.इ. से 2004-05 के लिए 251.15 करोड़ रू. के लक्ष्य के प्रति केवल 136 करोड़ रू. अर्जित करने से प्रदर्शित होता है।

अहमदाबाद, चण्डीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता एवं मुम्बई स्थित छः वा.प्र.से. में विशिष्ट कमी देखी गई थी जैसा कि नीचे चार्ट 3 में दिखाया गया है:

चार्ट 3: वाणिज्यिक प्रसारण सेवा स्टेशनों द्वारा राजस्व लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

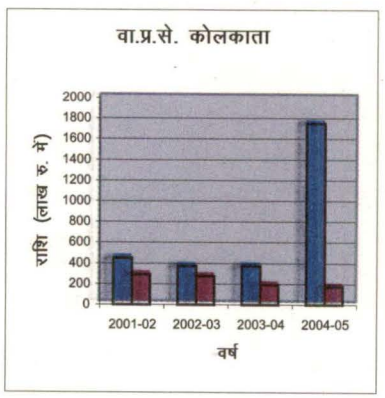

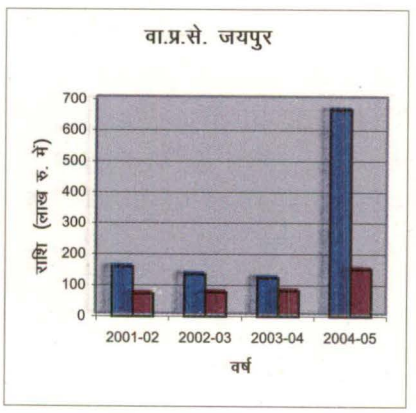

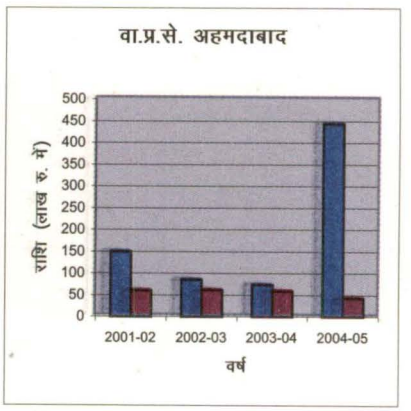

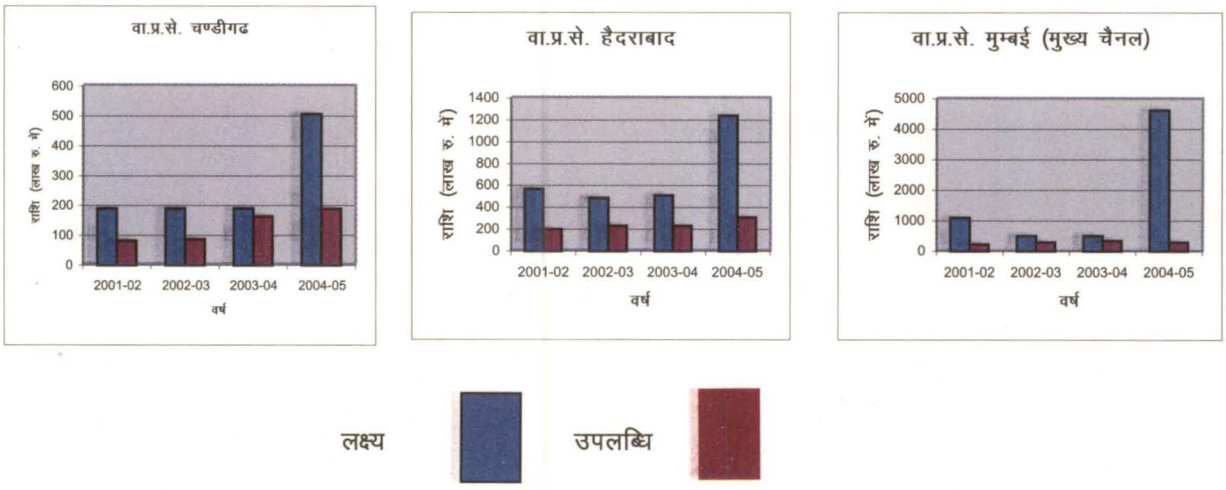

महानिदेशक, आ.वा. ने जून 2005 में वा.प्र.से. एवं विपणन अध्यक्षों की एक बैठक में पाया कि देश में वर्ष 2004-05 के दौरान रेडियो पर विज्ञापन पर कुल खर्च राशि लगभग 310 करोड़ रू. में से आकाशवाणी का भाग 215 रेडियो स्टेशनों सहित लगभग 158 करोड़ रू. था। निजी रेडियो स्टेशनों को केवल 22 स्टेशनों के साथ बकाया राशि प्राप्त हुई। यह दर्शाता था कि 2004-05 के दौरान आ.वा. के राजस्व का अनुपात उसकी अवसरंचना के अनुरूप नहीं था। यह भी दर्शाता था कि सृजित अवसंरचना का प्रयोग प्रभावकारी और दक्षतापूर्ण ढंग से नहीं किया जा रहा था।

6.2.1.2 एफ.एम. चैनलों का गिरता राजस्व

चार महानगरों स्थित एफ एम चैनलों से प्राप्त राजस्व, जो 2001-02 में आ.वा. के राजस्व का मुख्य भाग था, 2004-05 में 98 प्रतिशत तक गिरावट आई जैसाकि तालिका 12 में विवरण दिया गया है।

तालिका 12: एफ.एम. चैनलों से राजस्व

(करोड़ रू. में)

शहर	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02 के प्रति 2004-05 में गिरावट (प्रतिशत में)
दिल्ली	9.14	11.92	3.10	1.18	87
मुम्बई	5.29	1.36	0.07	0.11	98
कोलकाता	1.80	1.93	1.01	0.80	56
चेन्नई	2.32	2.93	0.60	0.39	83

श्रोताओं[10] के डाटा का राजस्व प्रवाह के साथ विश्लेषण करने में पाया कि यद्यपि मुम्बई में श्रोताओं की संख्या में केवल पांच प्रतिशत कमी आई थी, राजस्व में 98 प्रतिशत की कमी आई थी। दिल्ली और कोलकाता में यद्यपि 2001-02 की तुलना में 2004-05 में श्रोताओं की

[10] स्रोत : आ.वा. की दर्शक अनुसंधान इकाई/संसद प्रश्न के जवाब से लिया गया आंकड़ा।

संख्या में गिरावट 30 और 14 प्रतिशत थी, राजस्व में क्रमशः 87 और 56 प्रतिशत की कमी आई थी।

6.2.1.3 वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए समय अन्तराल का नगण्य उपयोग

दिसम्बर 2002 से लागू आ.वा. के दर कार्ड के अनुसार, 30 मिनट के प्रायोजित कार्यक्रम में 180 सैकेंड का निःशुल्क वाणिज्यिक समय (नि.वा.स.) होता है। यह वास्तविक कार्यक्रम विषय वस्तु के प्रसारण के लिए 27 मिनट की अनुमति देता है। इस प्रकार, उन दूसरे कार्यक्रमों के लिए, जो प्रायोजित नहीं होते हैं 30 मिनट के कार्यक्रम में 3 मिनट की अवधि या कार्यक्रम की अवधि का 10 प्रतिशत वाणिज्यिक समय के रूप में उपलब्ध होने चाहिए जिसे आ.वा. द्वारा राजस्व अर्जित करने के लिए बेचा जा सकता है। यह आ.वा. नियमावली के पैराग्राफ 15.1.12 के प्रावधान से भी मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि विविध भारती (एक विख्यात फिल्मी संगीत कार्यक्रम) प्रसारण समय का 10 प्रतिशत वाणिज्यिक प्रसारण के लिए उपलब्ध होता है। नीचे दी गई तालिका 13 विभिन्न वा.प्र.से. में उपलब्ध शेष बिना बिके हुए वाणिज्यिक समय के बड़े भाग को दर्शाती है।

तालिका 13: बिना बिका समय (उपलब्ध वाणिज्यिक समय की प्रतिशतता)

वा.प्र.से.	वर्ष			
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
जयपुर	84.10	92.90	90.80	91.50
अहमदाबाद	97.60	94.80	96.30	95.90
मुम्बई (के.बि.इ.)	87.00	87.00	68.00	78.00
कटक (मुख्य चैनल)	85.90	75.30	88.70	36.10
दिल्ली	42.00	41.00	82.00	72.00

वाणिज्यिकों के लिए उपलब्ध समय की बिक्री में 36 से 98 प्रतिशत के बीच की कमी का परिणाम राजस्व में व्यापक हानि में हुआ जो आ.वा. के विपणन प्रयासों की अप्रभावकारिता को दर्शाता था।

6.2.1.4 निजी अभिकरणों से राजस्व का प्रवाह

पांच वा.प्र.से. के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2001-02 के प्रति 2004-05 में निजी अभिकरणों से कुल राजस्व के योगदान में कमी आयी। वा.प्र.से. जयपुर के मामले में निजी अभिकरणों का योगदान 2001-02 में 54.93 प्रतिशत से कम होकर 2004-05 में 38.25 प्रतिशत हो गया; उसी अवधि के दौरान वा.प्र.से. दिल्ली में यह 68.02 प्रतिशत से गिरकर 46.42 प्रतिशत; वा.प्र.से. अहमदाबाद में 47.55 प्रतिशत से 34.69 प्रतिशत; वा.प्र.से. कटक में 69.59 प्रतिशत से 48.68 प्रतिशत और वा.प्र.से. कोलकाता में 81.83 प्रतिशत से 56.30 प्रतिशत हो गया। स्थिति को ग्राफ से नीचे दिखाया गया है:

चार्ट 4: निजी अभिकरणों से राजस्व के अंश के प्रवाह में कमी

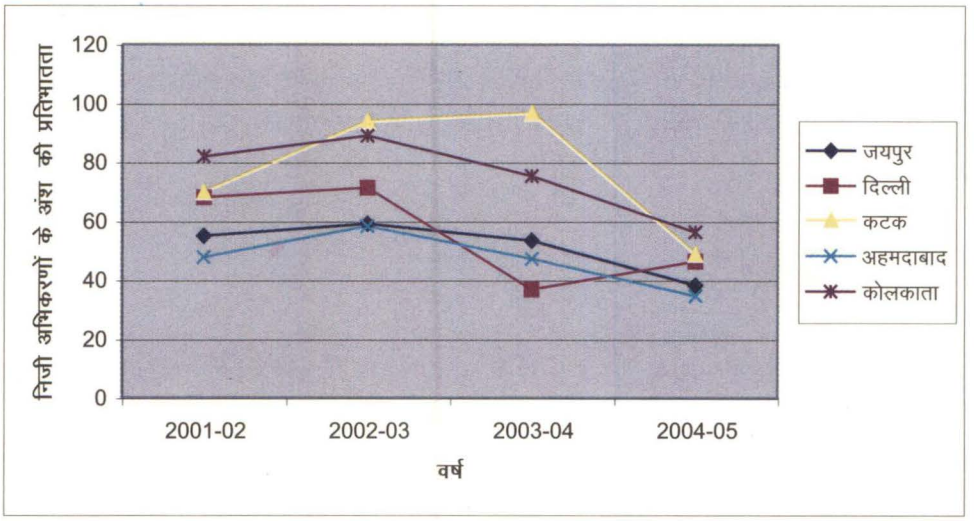

निजी वाणिज्यिक संगठनों से राजस्व का अंश 2001-02 में 69 प्रतिशत से कम होकर 2004-05 में 48 प्रतिशत हो गया था। चूंकि आबद्ध सरकारी विज्ञापनों को प्राप्त करने में बहुत कम विपणन प्रयास की आवश्यकता है, निजी कम्पनियों से राजस्व में कमी अप्रभावकारी विपणन प्रयासों को दर्शाता है।

6.2.1.5 दरों का संशोधन न करना

आ.वा. के पास दर कार्डों में संशोधन की कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है। दरों में संशोधन प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मंजूरी के साथ बाजार की स्थिति के अनुसार किये जा सकते हैं। मई 2004 में वा.प्र.से. और विपणन अध्यक्षों की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि एफ.एम. विविध भारती और मुख्य चैनलों से सम्बन्धित दर कार्ड को संशोधित किया जाये। तदनुसार उनके संभाव्य विपणन मूल्य के आधार पर स्टेशनों की पुनः समूहीकरण किया गया तथा निदेशालय ने जून 2004 में दरें संशोधित की। तथापि, वा.प्र.से. तथा विज्ञापन अभिकरणों से दरों में उच्च बढ़ोत्तरी के बारे में शिकायत पर म.नि. आ.वा. ने जुलाई 2004 में दर कार्डों की यथापूर्व स्थिति को 31 मार्च 2005 तक बनाए रखने का फैसला लिया। दिसम्बर 2002 से प्रभावी दर कार्ड को मार्च 2006 तक संशोधित नहीं किया गया था। आ.वा. ने बताया (मार्च 2006) कि विज्ञापन अभिकरण का आम मत था कि नई दरें उच्च थीं विशेष रूप से तब जब कि एक ग्राहक/अभिकरण एक विशेष अभियान के दौरान बहुत सारे स्टेशनों में विज्ञापन दे रहा था तथा इसके साथ-साथ में यह निजी एफ.एम. स्टेशनों द्वारा प्रस्तावित रियायती दरों की दृष्टि से भी ऊंची थीं। अतः यह अनुभव किया गया कि दर कार्ड में बढ़ोतरी विज्ञापनकर्ताओं को केवल निजी एफ.एम.स्टेशनों की ओर जाने के लिए उत्साहित करेगी जो कि सस्ते हो सकते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि आ.वा. ने अपनी दरे निजी एफ.एम. चैनलों द्वारा प्रभारित दरों को ध्यान में रख कर तय नहीं की थी और एक अस्थायी तरीके से दरों में बढ़ोतरी करने और फिर अपने फैसले से वापस हो जाने की बजाए दरों को तय करने के लिए किसी औचित्यपूर्ण नीति पर विचार नहीं किया गया था।

6.2.1.6 विज्ञापन/प्रायोजित कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए अपर्याप्त प्रावधान

वाणिज्यिक विज्ञापनों एवं प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए स्पॉटों की बुकिंग के लिए विज्ञापनकर्ताओं के साथ समझौते की धारा 21 के अनुसार अभिकरण निम्नलिखित शर्तों के साथ उस कार्यालय जहां बुकिंग की गई हो को लिखित नोटिस देने के बाद बुकिंग को रद्द कर सकता है:

(क) स्पॉट विज्ञापन की तिथि से पूर्व 45 दिन से कम न हो,

(ख) प्रायोजित कार्यक्रम की तिथि से पूर्व 60 दिन से कम न हो।

संविदा प्रलेखों में नोटिस अवधि का उल्लंघन करने के लिए कोई दाण्डिक शर्त नहीं है। वा.प्र.से. कोलकाता, मुम्बई, पटना ने 45/60 से कम दिनों के नोटिसों पर 11.79 लाख रु की राजस्व हानि अन्तर्ग्रस्त होने वाले 217 से अधिक मामलों में विज्ञापन/प्रायोजित कार्यक्रम रद्द किए। वा.प्र.से. द्वारा दाण्डिक शर्त को प्रलेखों में शामिल न किए जाने से विज्ञापनकर्ताओं के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

6.2.1.7 अनुशंसाएं

- *प्रसार भारती को प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करने तथा तदनुसार उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवा बाजार पर खर्च किए जाने वाले विज्ञापन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत विपणन नीति तथा मीडिया प्लान तैयार करने की आवश्यकता है।*
- *प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए नियमित अन्तरालों पर दर कार्ड को संशोधितं /पुनरीक्षित किया जाए।*
- *वाणिज्यिक समय और राजस्व की हानि से बचने के लिए प्रायोजकता/स्पॉटों के रद्द करने पर दाण्डिक शर्त समाविष्ट के लिए नियमों की तत्काल पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है।*

6.2.2 वित्तीय प्रबंधन

6.2.2.1 संविदा किए बिना कार्यक्रम के प्रसारण करने के कारण देयों की अवसूली

आकाशवाणी ने 2004 के दौरान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक विशेष जन प्रचार अभियान 'इरादा नये भारत का' प्रसारण करने का कार्य लिया। यह कार्यक्रम 12 फरवरी 2004 से 28 फरवरी 2004 के दौरान विविध भारती के 40 केन्द्रों, एफ.एम. चैनलों, मुख्य चैनलों, क्षेत्रीय समाचार के लिए चैनलों के माध्यम से सम्पूर्ण भारत में प्रसारित किया गया था। तथापि, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं किया गया था। मार्च 2004 में के.बि.इ. मुम्बई ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 4.35 करोड़ रू. के बिल भेजे। अभी तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार, उचित संविदा के बिना अभियान का प्रसारण करने का परिणाम 4.35 करोड़ रू. के देयों की अवसूली में हुआ। इस राशि पर आकाशवाणी द्वारा विलम्बित भुगतानों के लिए निर्धारित 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर जून 2004 से सितम्बर 2005 तक 84.12 लाख रू. का ब्याज भी देय था। विपणन प्रभाग के

अभिलेख दर्शाते थे कि यह अभियान प्रधानमंत्री के कार्यालय (प्र.मं.का.) से प्राप्त निर्देशों पर लिया गया था। प्र.मं.का. ने कई मंत्रालयों को इस अभियान हेतु भुगतान करने के निर्देश दिए थे। तथापि, देय वसूल नहीं हुए थे।

6.2.2.2 बकाया देय

जब कभी किसी अभिकरण अथवा विज्ञापनकर्ता को समय आबंटित किया जाता है तो अभिकरण/विज्ञापनकर्ता का पता, बुकिंग के विवरण तथा भुगतान आदि दर्शाते हुए एक संविदा हस्ताक्षरित की जाती है। गैर-अधिकृत अभिकरणों के संबंध में भुगतान अग्रिम रूप में वसूल किए जाते हैं। अधिकृत अभिकरणों तथा सरकारी विभागों/लो.क्षे.उ. को क्रेडिट अवधि के रूप में 45 दिनों का समय दिया जाता है। संविदात्मक शर्तों के अनुसार निरन्तर विलम्ब या भुगतानों में चूक के कारण दाण्डिक कार्यवाही को निमंत्रण देने वाले मामलों को, अभिकरणों/विज्ञापनकर्ताओं के प्रति उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर के.बि.इ./निदेशालय के ध्यान में लाया गया है। तथापि यह पाया गया था कि विभाग 18.63 करोड़ रू. (नवम्बर 2005) के बकाया देयों, जिसमें कुछ 1990 से पहले की अवधियों से संबंधित हैं, वसूल करने में विफल रहा, जिसके विस्तृत ब्यौरे तालिका 14 में दिए गए हैं, वसूली की त्रुटिपूर्ण क्रियाविधि का संकेत करते हैं।

तालिका 14: बकाया देय (ब्याज सहित)

क्र.सं.	स्टेशन	राशि (करोड़ रू. में)	टिप्पणियां
1.	मुम्बई	14.75	2.10 करोड़ रू. की वसूली के 23 मामले मुकदमेबाजी के अधीन थे। इनमें से 2 अभिकरणों का पता - ठिकाना मालूम नहीं था। मै. मोड एडवरटाइजिंग एंड मार्किटिंग (प्रा.) लि. के मामले में 12.79 लाख रू. का भुगतान न करने के कारण मई 1993 में उसका प्रत्यायन वापस ले लिया गया था तथा मामला विवाचक के पास लम्बित था लेकिन अभिकरण को अक्तूबर 2003 तथा फरवरी 2005 के बीच तीन विशिष्ट अवसरों पर प्रत्यायन स्तर प्रदान कर दिया गया। 29 मामलों में यद्यपि 20.96 लाख रू. का ब्याज बकाया था लेकिन प्रत्यायन रद्द नहीं किया जा सका क्योंकि ब्याज का भुगतान न करने से किसी अभिकरण को एक प्रत्यायित अभिकरण के रूप में जारी रखने से रोका नहीं जा सकता।
2.	दिल्ली	1.15	देय राशियां 1986-2000 से संबंधित है जिसमें से 6.52 लाख रू. मुकदमेबाजी के अधीन थे। एक मामले में वर्ष 2000 से पहले की राशियों के लिए अभी एक विवाचक नियुक्त किया जाना था।
3.	थिरूवनंतपुरम (केरल)	0.51	23.41 लाख रू. 1996 से पहले की अवधि से संबंधित है।
4.	चेन्नई (तमिलनाडु)	0.48	यद्यपि 6 अभिकरणों के प्रति सिविल मुकदमे दायर किए गए थे लेकिन उनके प्रत्यायन रद्द नहीं किए गए थे।
5.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	0.41	देय 2001-2005 से संबंधित हैं।
6.	बंगलौर (कर्नाटक)	0.38	4.69 लाख रू. 1997-98 से 2000-01 से संबंधित है।
7.	कोलकाता	0.38	अभिकरणों द्वारा कई वर्षों से बकाया देयों का भुगतान न करने के बाद भी नये अभिकरणों से अग्रिम भुगतान किए बिना उनको नये वाणिज्यिक स्वीकार किये गये थे।
8.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	0.21	देय 1996-2005 से संबंधित हैं।
9.	अहमदाबाद (गुजरात)	0.11	देय 1996-2005 से संबंधित हैं।
10.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	0.10	3.28 लाख रू. 1985 से 1999 से संबंधित है।
11.	जयपुर (राजस्थान)	0.06	3.14 लाख रू. 2002-03 से पहले से संबंधित है।
12	चंडीगढ़	0.04	1.47 लाख रू. अक्तूबर 1993 से जून 2003 की अवधि से संबंधित है।
13	कटक (उड़ीसा)	0.03	तीन अभिकरणों से बकाया देय जनवरी 1994 से जनवरी 2000 से संबंधित है।
14	पटना (बिहार)	0.02	दो अभिकरणों से संबंधित देय में से एक अभिकरण ने मूल राशि का भुगतान कर दिया था लेकिन 1996 से 2002 का 0.62 लाख रू. के ब्याज का मार्च 2005 तक भुगतान नहीं किया गया था। दूसरे अभिकरण के विरूद्ध 1994 से संबंधित देयों की वसूली हेतु एक विधि मुकदमा लम्बित था।
	योग	**18.63**	

6.2.2.3 बकाया देयों को गलत दर्शाया जाना

के.बि.इ. मुम्बई के 1 अप्रैल 2001 को 14.15 करोड़ रू. राशि के विविध देनदार थे। प्रस्तुत किए गए बिलों तथा उन बिलों के प्रति प्राप्त नकद के आधार पर 31 मार्च 2005 को बकाया राशि 34.96 करोड़ रू. परिकलित की गई थी। तथापि के.बि.इ., मुम्बई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बकाया राशि 12.17 करोड़ रू. थी। 22.79 करोड़ रू. के भारी अंतर का के.बि.इ. मुम्बई द्वारा जनवरी 2006 तक समाधान नहीं किया जा सका। लेखाओं के निकृष्ट अनुरक्षण तथा कमजोर नियंत्रण क्रियाविधि दर्शाने के अलावा ऐसे भारी अंतर से दुर्विनियोजन का जोखिम भी बढ़ जाता है।

6.2.2.4 प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान

दिसम्बर 2002 से प्रभावी दर कार्ड के भाग V के क्र.सं. 4 के अनुसार विज्ञापन अभिकरणों को देय प्रोत्साहन लेजर लेखे में ऐसे अभिकरणों द्वारा दिए गए वार्षिक निवल व्यापार की राशि के आधार पर क्रेडिट किए जाते हैं। ऐसे प्रोत्साहन केवल उस अभिकरण जिसके प्रति आ.वा. के कोई देय बकाया नहीं है, को ही देय है। अभिकरणों को अनंतिम प्रोत्साहन देने के लिए भी कोई आदेश नहीं है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि के.बि.इ. मुम्बई द्वारा 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान उन अभिकरणों जिन पर देय बकाया थे, के लेखाओं में 79.98 लाख रू. के वार्षिक टर्नओवर प्रोत्साहन क्रेडिट किए गए थे। इसके अतिरिक्त एक अधिकृत अभिकरण को अक्तूबर 2002 से जून 2004 के दौरान 24 लाख रू. के अनंतिम प्रोत्साहन भी क्रेडिट किए गए थे।

आ.वा. ने बत्ाया (अक्तूबर 2005) कि अभिकरणों के भुगतान व्यवहार पर विचार करने के पश्चात् विभाग ने उनके बकाया देयों के प्रति प्रोत्साहन समायोजित किए। विभाग की कार्यवाही नियमों के विरूद्ध थी।

6.2.2.5 वाणिज्यिक प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब

वा.प्र.से. की समस्त वाणिज्यिक प्राप्तियों को प्रसार भारती के प्राप्ति लेखें में प्रेषित की जानी अपेक्षित है ताकि आगे उन प्राप्तियों को 24 घंटे के भीतर भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली में मुख्य लेखे में क्रेडिट किया जा सके। स्थानीय शाखा, जो शून्य शेष का खाता है, में कोई शेष नहीं बच सकता है। प्रसार भारती के बजट तथा लेखा स्कंध ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. पी बी 7/बजट/ 2004-05 दिनांक 1.10.2004 में दोहराया कि बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में प्रसार भारती मुख्य लेखे में 24 घंटे के भीतर राशि क्रेडिट करने का परामर्श देना चाहिए। तथापि प्रतिमानों का पालन नहीं किया गया था। 2001-05 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वा.प्र.से. पटना की वाणिज्यिक प्राप्तियां भा.स्टे.बैं. पटना के प्राप्ति लेखे में प्रेषित की गई थी लेकिन बैंक ने इनको एक से 24 महीनों के विलम्ब के पश्चात प्रसार भारती के मुख्य लेखे में अंतरित किया तथा स्थानीय बैंक द्वारा 2.60 करोड़ रू. शेष के रूप में रखे गये थे। अतंरण के दिन भी समस्त शेष अंतरित नहीं किए गए। परिणामतः प्रसार भारती को प्रसार भारती द्वारा निर्धारित मार्च 2003 तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा अप्रैल 2003 से 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित 72.76 लाख रू. के ब्याज की हानि हुई थी। कटक (उड़ीसा) में बैंक ने 0.13

लाख रू. से 16.69 लाख रू. के बीच शेष रखा था तथा कोलकाता में बैंक ने मुख्य लेखे में प्राप्तियां केवल साप्ताहिक आधार पर ही प्रेषित कीं।

वा.प्र.से. कोलकाता, रांची, इम्फाल तथा लखनऊ ने भी अपनी प्राप्तियां अपने अधिकृत बैंक में 60 दिनों तक के विलम्ब से जमा की थीं।

6.2.2.6 प्रभार का उद्ग्रहण किए बिना कार्यक्रमों का प्रसारण

आ.वा. प्रसारण समय की बिक्री करके राजस्व सृजित करती है। आ.वा. मुम्बई मुख्य चैनलों, समवेदिता तथा अस्मिता पर और दो एफ.एम. चैनलों रेनबो और गोल्ड पर प्रतिदिन पांच मिनट का रेलवे सूचना कार्यक्रम तथा मुख्य चैनलों तथा अस्मिता पर बाजार वस्तु मूल्य का 5 मिनट का कार्यक्रम कोई शुल्क प्रभारित किए बिना करती है। उपरोक्त जनता को रेलवे सूचना तथा बाजार वस्तु मूल्य के बारे में सूचित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्रमशः रेलवे तथा कृषि उत्पन्न बाजार समिति का होना चाहिए। अतः उन्हें या तो कार्यक्रम प्रायोजित करना चाहिए या प्रसारण व्यय की वहन करने के लिए प्रायोजक उपलब्ध कराने चाहिए। 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए राजस्व की हानि 27.66 लाख रू. (रेलवे सूचना-21.72 लाख रू., बाजार वस्तु मूल्य-5.94 लाख रू.) परिकलित की गई।

6.2.2.7 क्रिकेट मैचों के मामले में बिल बनाने में विलंब के कारण ब्याज की हानि

आ.वा. नियमावली, खण्ड-I, भाग-III के पैराग्राफ 15.5.10 के प्रावधानों के अनुसार प्रसारण माह के अंत में बिल तैयार हो जाने चाहिए तथा अगले माह की 5 तारीख तक अधिकृत अभिकरण को जारी किए जाने चाहिए। इन अभिकरणों को बिलों का भुगतान विज्ञापन के प्रसारण की तिथि के बाद प्रथम माह से आरंभ क्रेडिट अवधि के 45 दिनों के भीतर करना अपेक्षित है। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर भुगतान नहीं किए जाते हैं तो देय राशि पर 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय है।

विभिन्न अधिकृत अभिकरणों ने 2003-04 तथा 2004-05 की अवधि के दौरान आ.वा. पर क्रिकेट मैचों (ए.दि.अं. और टेस्ट श्रृखंला) के प्रसारण हेतु के.बि.इ., आ.वा., मुम्बई के साथ समझौते किए।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 70 मामलों मे से 61 में यह पाया गया था कि आ.वा., मुम्बई ने प्रावधानों के विपरीत बिलों को तैयार करने में 35 दिनों से 45 दिनों का विलम्ब किया तथा अभिकरणों को बिल जारी करने की तिथि से भुगतान करने में 45 दिनों का समय दिया। बिलों को देर से तैयार करने के कारण भुगतान करने की नियत तिथि 35 दिनों से 45 दिनों तक बढ़ गई थी जिसका परिणाम समझौते में निर्धारित ब्याज दर पर परिकलित 11.58 लाख रू. के राजस्व की हानि में हुआ।

आ.वा., मुम्बई ने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2005) कि बिलों को तैयार करने में विलम्ब आ.वा., मुम्बई तथा नई दिल्ली के विपणन प्रभाग से संविदाओं की देर से प्राप्ति तथा देर से निष्पादन के कारण था। आ.वा. को ऐसे विलम्बों को दूर करने के लिए आंतरिक समन्वयता को सुधारने की आवश्यकता है।

6.2.2.8 सेवाकर का अनुद्ग्रहण/स्रोत पर आयकर की कटौती न करना

आ.वा., को प्रसारण सेवा संभारक के रूप में 1 अप्रैल 2003 से सेवा कर का उद्ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आ.वा. को अभिकरणों को देय कमीशन से स्रोत पर आयकर की कटौती करना भी अपेक्षित है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार वा.प्र.से. स्टेशनों में 3.70 करोड़ रू. का सेवाकर वसूल नहीं किया गया था। इसी प्रकार नौ स्टेशनों ने 2001-05 की अवधि के दौरान 2.11 करोड़ रू. की सीमा तक स्रो.प.क. की कटौती नहीं की गई थी जिसके विवरण तालिका 15 में दिए गए हैं।

तालिका 15: सेवाकर का अनुद्ग्रहण/वसूल न करना तथा स्रोत पर कर की कटौती न करना (आ.वा.)

(लाख रू. में)

क्र.सं.	वा.प्र.से. स्टेशन	सेवाकर का अनुद्ग्रहण /कम उद्ग्रहण/ वसूली न करना	अभिकरणों को दिए गए कमीशन पर स्रो.प.क. का अनुद्ग्रहण
1	मुम्बई	366.04	133.76
2	दिल्ली	-	33.39
3	चेन्नई	-	22.52
4	थिरूवनन्तपुरम	-	12.24
5	भोपाल	-	2.61
6	हैदराबाद	2.35	-
7	चंडीगढ़	-	2.23
8	कोलकाता	-	1.72
9.	अहमदाबाद	0.86	1.30
10.	श्रीनगर	-	1.24
11.	रांची	0.49	-
	योग	**369.74**	**211.01**

लेखापरीक्षा जांच के उत्तर में जबकि आ.वा. ने यह उल्लेख किया कि उसने प्रसारण सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान हेतु दिल्ली में केन्द्रीयरूप से अपना पंजीकरण कराया था उसने यह नहीं बताया कि क्या उसके द्वारा सेवाकर का भुगतान राज्य राजकोष में किया गया था।

6.2.2.9 अनुशंसाएं

- *राजस्व की प्राप्ति और क्रेडिट को मानीटरिंग करने के लिए कम्प्यूटरीकृत लेखाविधि अपनाई जाए।*
- *सामायिक प्रेषणों पर निगरानी रखने के लिए प्रभावशाली क्रियाविधि लागू की जाए।*
- *मांग प्रस्तुत करने में होने वाले विलम्बों को समाप्त करने के लिए विपणन प्रभागों तथा* आ.वा. प्रसारण स्टेशनों के बीच समन्वयन में सुधार की आवश्यकता है।

6.2.3 संसाधन प्रबंधन

6.2.3.1 स्टुडियो का कम उपयोग

आ.वा. मुम्बई द्वारा 1994 में 2.44 करोड़ रू. की लागत पर एक मल्टी ट्रेक रिकॉर्डिंग स्टुडियो स्थापित किया गया था। स्टुडियो का उपयोग मार्च 2002 से मार्च 2005 के दौरान 0.71 तथा 14.89 प्रतिशत के बीच था। आ.वा. मुम्बई ने बताया (जनवरी 2006) कि मल्टीट्रैक स्टुडियो इन-हाउस रिकॉर्डिंग के लिए किफायती नहीं था। राजस्व सृजन के लिए सरकारी विभागों तथा निजी पार्टियों द्वारा स्टुडियो का उपयोग करने पर विचार नहीं किया गया था।

उसी तरह वा.प्र.से. अहमदाबाद के तीन स्टुडियो में से दो स्टुडियो का एक दिन में चार घंटे की औसत से उपयोग किया गया था। यद्यपि स्टुडियो को किराए पर देने की दरें सांय 6.00 बजे के बाद से नियत की गई थी तथापि राजस्व सृजन के लिए बाहरी पार्टियों द्वारा स्टुडियो किराए पर लेने के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई थी।

6.2.3.2 आंतरिक नियंत्रण

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 13 वा.प्र.से. में महत्वपूर्ण अभिलेखे/ रजिस्टरों, जैसे सहायक रोकड़ बही, एजेन्ट-लेजर, प्रसारण सारांश, लॉग बुक, दैनिक प्रस्तुतिकरण पत्रक, बिल रजिस्टर आदि का उचित ढंग से अनुरक्षण नही किया गया था। कुछ मामलों में इनका अनुरक्षण ही नहीं किया गया था। वा.प्र.से. चंडीगढ़, रांची, कोलकाता और पणजी में प्राप्तियों का समाधान नहीं किया गया था। वा.प्र.से. कटक के मामले में उसकी बहियों के अनुसार मासिक राजस्व आंकड़ों तथा भु.ले.का. द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर थे।

वा.प्र.से. कोलकाता, जयुपर, चंडीगढ़, मुम्बई, थिरूवनंतपुरम, अहमदाबाद, कटक और कानपुर और हरियाणा, इम्फाल और त्रिपुरा के आ.वा. स्टेशनों की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2000 से नहीं की गई थी। उचित आंतरिक जांच तथा नियंत्रणों की कमी के कारण विभिन्न वित्तीय अनियमितताएं की गई, जिसके विवरण तालिका 16 में दिए गए हैं, जिसका परिणाम 2001-05 की अवधि के लिए 25.80 लाख रू. के राजस्व की हानि में हुआ।

तालिका 16: राजस्व की हानि

(लाख रू. में)

क्र.सं.	अनियमितता का प्रकार	राशि
(i)	ब्याज की अवसूली (वा.प्र.से. इलाहाबाद)	6.01
(ii)	अनियमित कमीशन का भुगतान (वा.प्र.से. चंडीगढ़ और थिरूवनंतपुरम)	5.02
(iii)	कम बिल बनाना (वा.प्रा.से. कोलकाता, पटना, इम्फाल और मुम्बई)	4.31
(iv)	दरों में संशोधन न करने के कारण हानि (वा.प्र.से. भोपाल)	3.61
(v)	बैंक में ड्राफ्टों का विलम्ब से प्रेषण करने के कारण ब्याज की हानि (वा.प्र.से. श्रीनगर)	1.67
(vi)	प्रायोजकता शुल्क का कम उद्ग्रहण (वा.प्र.से.चेन्नई)	1.52
(vii)	ब्याज का कम उद्ग्रहण (वा.प्र.से. चेन्नई)	1.30
(viii)	ब्याज का अनुदग्रहण (वा.प्र.से. चंडीगढ़ एवं गुजरात)	0.98

क्र.सं.	अनियमितता का प्रकार	राशि
(ix)	बिल न बनाना (वा.प्र.से. मुम्बई)	0.72
(x)	बोनस का अनियमित रूप से प्रदान किया जाना (वा.प्र.से. मुम्बई)	0.50
(xi)	अनियमित छूट (वा.प्र.से. अहमदाबाद)	0.16
	योग	**25.80**

6.2.3.3 अनुशंसाएं

- *आकाशवाणी को निजी निर्माताओं तथा शैक्षिक प्रसारणकर्ताओं जैसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को भी रिकार्डिंग तथा प्रसारण स्टुडियो किराए पर देने के लिए उपाय खोजने चाहिए।*

- *प्रसार भारती को बिल बनाने, संग्रहण, लेखाकरण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए।*

7. निष्कर्ष

प्रसार भारती के दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा राजस्व सृजन की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा से आकाशवाणी हेतु 2001-05 की अवधि तथा दूरदर्शन हेतु वर्ष 2004-05 के लिए नियत वार्षिक राजस्व लक्ष्यों के संदर्भ में राजस्व सृजन में कमियां प्रकट हुई। 2001-04 की अवधि के लिए दूरदर्शन हेतु नियत लक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। प्रसार भारती के पास उसके प्रतियोगियों द्वारा प्रभारित दरों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें नियत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा अथवा नीति नहीं है। निःशुल्क वाणिज्यिक समय का खराब मानीटरिंग के कारण दूरदर्शन को भारी राजस्व हानि हुई। चूककर्ताओं से बड़ी राशियों की वसूली लम्बित थी। इन राशियों को वसूल करने हेतु सामयिक तथा ठोस कदम उठाने के अभाव में इनमें वृद्धि होने की संभावना है। आकाशवाणी अपनी मूलभूत सुविधाओं का प्रभावशाली तथा दक्षतापूर्ण उपयोग नहीं कर सका तथा देश में रेडियो विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का केवल 51 प्रतिशत भाग ही अर्जित कर सका हालांकि देश में कुल रेडियो स्टेशनों का 91 प्रतिशत आकाशवाणी के थे। चार महानगरों में एफ.एम. चैनलों से प्राप्त राजस्व, जो 2001-02 में आकाशवाणी के राजस्व का बड़ा भाग बना था, में 2004-05 में 98 प्रतिशत तक गिरावट आई थी। विपणन प्रयासों का अभाव, निर्धारित प्रतिमानों से विचलन तथा प्रभारों के उद्ग्रहण से संबंधित उपबंधों की गलत व्याख्या राजस्व के कम सृजन के मुख्य कारण थे। दूरदर्शन के साथ-साथ आकाशवाणी में भी आंतरिक नियंत्रण अप्रभावी थे। महत्वपूर्ण अभिलेखों/रजिस्टरों के अनुरक्षण की गुणवत्ता खराब थी। राजस्व आंकड़ों का विभिन्न स्तरों पर समाधान नहीं किया गया था तथा बिल पर्याप्त विलम्ब के पश्चात् प्राप्त किए गए थे। कुछ मामलों में ये प्रस्तुत ही नही किए गए थे। अधिकांश मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा 2000 के बाद से संचालित नहीं की गई थी।

मूलभूत सुविधाओं के प्रभावशाली उपयोग, उचित नियोजन तथा विपणन और राजस्व वसूली की उचित मानीटरिंग से प्रसार भारती के राजस्व में वृद्धि की संभावना है। प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए इसे नियमित अन्तरालों पर अपने दर कार्ड में संशोधन करना चाहिए। आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मांग के उद्ग्रहण, बिल तैयार करने,

वसूल करने तथा लेखांकन करने पर दक्षता पूर्वक निगरानी करने के लिए सभी महत्वपूर्ण मूल अभिलेखों/ रजिस्टरों का उचित ढंग से अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

8. मंत्रालय का प्रत्युत्तर

'दूरदर्शन एवं आकाशवाणी, प्रसार भारती द्वारा, राजस्व सृजन की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा' पर ड्राफ्ट रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन के साथ-साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर मंत्रालय की टिप्पणियों तथा अनुशंसाओं हेतु मई 2006 में भेजी गई थी। अनुस्मारक के बावजूद मंत्रालय को अपना प्रत्युत्तर भेजना शेष है। निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर मंत्रालय के प्रत्यक्षज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक निर्गम सम्मेलन हेतु लेखापरीक्षा के अनुरोध का उत्तर भी नहीं दिया गया है।

(डा.अं.कु.बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक 26 जुलाई, 2006

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 जुलाई, 2006

अनुबन्ध 1

(पैराग्राफ 6.1.1.5 के संदर्भ में)

प्रसारण शुल्क में संशोधन न होने के कारण हानि

(लाख रु. में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	निर्धारित कड़ियों की सं.					लागू कुल शुल्क	प्रभारित शुल्क	कम प्रभारित राशि
		अक्तूबर 2001 से दिसम्बर 2001	जनवरी 2003 से मार्च 2003	अक्तूबर 2003 से दिसम्बर 2003	जनवरी 2005 से मार्च 2005	योग			
1	बिजनेस आन सन्डे	8	-	-	-	8	8.00	5.55	2.45
2	दृष्टान्त	13	-	-	-	13	11.50	6.50	5.00
3	जीवन रेखा	15	-	-	-	15	2.35	0.94	1.41
4	जूनियर जी.	13	6	13	-	32	27.65	15.43	12.22
5	किरण	46	-	-	-	46	10.64	3.13	7.51
6	सस्पेंस एवरी वीक	19	-	-	-	19	113.05	66.50	46.55
7	सुराग	13	-	-	-	13	210.35	195.65	14.70
8	सफर	11	-	-	-	11	48.13	38.50	9.63
9	आनेवाला पल	23	-	-	-	23	32.20	28.75	3.45
10	बाजार	3	-	-	-	3	13.13	10.50	2.63
11	मंजिल अंजानी	7	-		-	7	4.90	4.38	0.52
12	कसम	1	-			1	1.70	1.55	0.15
13	कहानी सात फेरों की	7	-			7	9.80	8.75	1.05
14	व्यापार बाजार	3				3	1.88	1.41	0.47
15	आंखें	-	11	10	13	34	309.22	205.50	103.72
16	बॉलीवुड तमाशा	-	9	8	-	17	11.90	10.57	1.33
17	कौन बनेगा नं. 1	-	5	-	-	5	3.13	3.00	0.13
18	नंदू अपना	-	7	13	-	20	14.00	8.68	5.32
19	सलाखों के पीछे	-	10	-	-	10	45.85	35.00	10.85
20	शायद तुम	-	12	12	-	24	128.63	87.60	41.03
21	शक्ति	-	16	19	-	35	207.73	128.20	79.53
22	तलाक क्यों	-	55	65	53	173	238.30	179.50	58.80
23	टर्निंग पोइन्ट	-	8	8	-	16	11.95	6.49	5.46
24	टिम्बा रूचा	-	7	-	-	7	4.90	2.63	2.27
25	उजाला	-	11	-	-	11	56.53	38.50	18.03
26	विष्णु पुराण		11	10	-	21	184.10	115.00	69.10
	योग	**182**	**168**	**158**	**66**	**574**	**1711.52**	**1208.21**	**503.31**

अनुबन्ध 2

(पैराग्राफ 6.1.2.6 के संदर्भ में)

31 मार्च 2005 तक बकाया देयों की वसूली के लिए विलम्बित कार्यवाही

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम और अवधि	बकाया राशि (ब्याज सहित)	टिप्पणियां
1	आनंद एडवरटाइजिंग (1997-98) (दू.वा.से. दिल्ली)	2.50	अभिकरण के साथ अनुबन्ध प्राप्य नहीं था। अभिकरण द्वारा दी गई बैंक प्रत्याभूति को मार्च 2000 में समाप्त हो जाने दिया। अभिकरण ने फरवरी 1998 से सितम्बर 1998 की अवधि के लिए 4.18 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया। दू.द. ने वाणिज्यिक निबन्धन को पूर्व प्रभाव से संशोधित करके इसे कम करके 1.18 करोड़ रू. कर दिया बशर्ते कि 19 अक्तूबर 1998 तक भुगतान हो परन्तु अब तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। दुबारा, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त के साथ एक भुगतान योजना अनुमोदित हुई। बैंक गारंटी प्राप्त हुए बिना अभिकरण को 17 जनवरी 1999 तक प्रसारण करने की छूट दी गई जिसका परिणाम संशोधित अनुबंधों पर देयों के 1.39 करोड़ रू. संचय होने में हुआ। कानूनी नोटिस केवल जुलाई 2001 में जारी की गई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2	मेघना वीजन (1997) (दू.वा.से. दिल्ली)	1.28	1997 की देयों के लिए कानूनी नोटिस जनवरी 2002 में भेजा गया था, उस समय तक अभिकरण गायब हो चुकी थी। पंचाट कार्रवाई के आह्वान के लिए मामला प्रसार भारती स्तर पर मई 2003 में प्रारम्भ किया गया था लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
3	मा बोज़ेल (1993-97) (दू.वा.से. दिल्ली)	2.26	देयों की वसूली के लिए कानूनी नोटिस मई 2001 में भेजा गया था। अभिकरण ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रसार भारती ने वसूली के मामले को अप्रैल 2003 तक निवर्तन किया लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की।
4	काइन स्कोप (1998-99) (दू.वा.से. दिल्ली)	2.48	सितम्बर 2003 में नियुक्त किया गया विवाचक नवम्बर 2003 में हटा लिया गया।
5	नीरजा फिल्म्स (1999-2002) (दू.वा.से. दिल्ली)	2.33	दिसम्बर 2003 में नियुक्त किया गया विवाचक जनवरी 2004 में हटा लिया गया।
6	मीडिया एशिया (1995-97) (दू.वा.से. दिल्ली)	1.22	हालांकि अभिकरण का प्रत्यापन नवम्बर 1997 में रद्द हो गया था, न्यायालय से एक विवाचक की नियुक्ति के लिए सितम्बर 2000 में सिफारिश की गई। पहली सुनवाई (अगस्त 2002) में दू.द. ने दावा दायर करने के लिए छः सप्ताह का समय चाहा। 6 अन्य अवसरों पर समय बढ़ाया गया था। दो अवसरों पर जुर्माना लगाया गया। मई 2004 में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किये गये थे। विलम्ब के लिए जुर्माना लगाया गया था। मामले को अन्तिम निर्णय के लिए सुरक्षित रखने के बाद जुलाई 2005 में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए गए थे।
7	प्राइम टाइम मीडिया (1996-2001) (दू.वा.से. दिल्ली)	5.88	अभिकरण ने 1996-97 के दौरान 20 बार, 1997-98 में 79 बार, 1998-99 में 160 बार, 1999-2000 में 32 बार, 2000 में 122 बार भुगतान करने में चूक की लेकिन 3.46 करोड़ रु. के संचित देयों के बकाया होने तक इसे कार्यक्रम करने को अनुमति दी गई। (अप्रैल 2002 तक 2.42 करोड़ रु. का ब्याज भी प्रोद्भूत हो गया था)।

क्र. सं.	अभिकरण का नाम और अवधि	बकाया राशि (ब्याज सहित)	टिप्पणियां
8	एमबीएम (2000) (दू.वा.से. दिल्ली)	2.96	अभिकरण को अनियमित रूप से 1.11 करोड़ रु. की क्रेडिट सुविधा की अनुमति दी गई। इन देयों का अभी भी भुगतान करना है। जून 2001 में जारी कानूनी नोटिस के प्रत्युत्तर में, अभिकरण ने एक विवाचक की नियुक्ति का निवेदन किया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
9	क्रिएटिव आई लिमिटेड (1997-01) (दू.वा.से. दिल्ली)	25.75	जबकि मार्च 1997 से फरवरी 2000 तक की अवधि के लिए 2.26 करोड़ रु. बकाया थे, मार्च 2000 में दू.वा.से. द्वारा इसके पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनने पर एक नये समझौते को अंजाम दिया गया।
10	फिल्म क्राफ्ट (मार्च 1999-अक्तूबर 2003) (दू.वा.से. दिल्ली)	25.42	1999 में अभिकरण ने चूक की। लेकिन अभिकरण को कार्यक्रम करने की अनुमति थी। अप्रैल 2001 और अक्तूबर 2003 के बीच 27.46 करोड़ रु. के 80 चैक अस्वीकृत हुए थे। अब विभाग देय की वसूली के लिए एक विवाचक की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर रहा है।
11	दृष्टि इंडिया (अगस्त 1995-दिसम्बर 1995) (दू.वा.से. दिल्ली)	7.33	यद्यपि अभिकरण देय का भुगतान नहीं कर रहा था और नवम्बर 1995 में उसका प्रत्यापन भी रद्द कर दिया गया था, फिर भी इसे एक फिल्म का प्रसारण करने के लिए क्रडिट की सुविधा दी गई थी जिसके लिए 23 लाख रु. का भुगतान भी नहीं किया गया था। 1995 के देय के लिए जनवरी 2002 में एक कानूनी नोटिस जारी किया गया। अगस्त 2003 में म.नि. द्वारा नियुक्त विवाचक नवम्बर 2003 में हटा लिया गया और नवम्बर 2004 में न्यायालय द्वारा नये विवाचक की नियुक्ति की गई।
12	मै. ए ए एम एल (दू.द.के. कोलकाता)	32.89	अभिकरण को नये प्रोग्राम की अनुमति दी गई जबकि उसने भुगतान करने में चूक की थी।
13	मै. रेडियो टी.वी. कमर्शियल (दू.द.के. मुम्बई)	1.54	अभिकरण ने 1994-95 में चूक की थी लेकिन 1999-2000 तक उसे कार्यक्रम दिये गये थे।
14	मै. फिल्म क्राफ्ट (दू.द.के. मुम्बई)	0.38	फर्म 1999-2000 से 2002-03 के लिए अपने देय देने में विफल रही लेकिन अगस्त 2004 तक उसे कार्यक्रम दिये गये थे।
15	मै. यूनीवर्सल कम्युनिकेशन (दू.द.के. मुम्बई)	0.11	फर्म ने जुलाई 1998 से सितम्बर 2001 के लिए अपने देय नहीं दिये फिर भी नवम्बर 2001 से जनवरी 2004 तक इसे फिल्मों का विशिष्ट विपणन अधिकार प्रदान किया गया था।
16	मै. ग्लोबल विजियन (दू.द.के. मुम्बई)	0.32	फर्म यद्यपि अगस्त 2002 से चूककर्ता थी, को दिसम्बर 2003 तक कार्यक्रम दिये गये थे।
17	मै. डेलकोम एडवरटाईजिंग (दू.द.के. गुवाहाटी)	0.29	फर्म ने नवम्बर 2000 से अगस्त 2001 तक देयों का भुगतान नहीं किया था। फिर भी, उसका चयन किया गया और मार्च 2003 और अगस्त 2004 के बीच कमीशन शुदा कार्यक्रमों के लिए 9 लाख रु. अदा किए गए।
18	मै. टाईम शोप एडवरटाइजिंग एण्ड मै. पी के इन्टरटैनमैन्ट (दू.द.के. मुम्बई)	0.28	मै. टाईम शॉप एडवरटाइजिंग ने, "कानमागुन एओली" धारावाहिक के लिए देय के भुगतान में चूक की थी। उसका प्रत्यापन रद्द कर दिया गया और मै. पी.के. इनटरटेनमैंट द्वारा धारावाहिक प्रसारित किया गया, जिसे अंतरिम प्रत्यापन दिया गया था। दूसरे अभिकरण द्वारा प्रस्तुत चैक भी अस्वीकृत हो गया था।
	योग	**115.22**	

अनुबन्ध 3

(पैराग्राफ 6.1.3.2 के संदर्भ में)

दूरदर्शन की वेबसाईट (www.ddindia.gov.in/ddprogram/viewdata.aspx) पर 15 अगस्त 2005 तक बकाया राशि वाले चूककर्ता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	मूल राशि
1	ए एण्ड ए फिल्म्स	6.00
2	आलिया प्रोडक्शन	60.00
3	अभिनव क्रीएशन्स	11.00
4	ए.के.इन्टरनेशनल	5.00
5	एडवान्स टी सी नेटवर्क	213.00
6	एडवीजन मल्टीमीडिया	17.00
7	अमेच्योर	29.00
8	आनन्द एडवरटाइजिंग	140.00
9	एशियन एड एज, नई दिल्ली	19.00
10	बी4यू मल्टीमीडिया	179.00
11	बी ए जी फिल्म्स	9.00
12	बालाजी टेलीफिल्म्स	232.00
13	विधान, अहमदाबाद	11.00
14	करट मीडिया	3.00
15	सिनेमा वीजन	33.00
16	कन्सेप्ट कोम.	188.00
17	कापी डेस्क	45.00
18	कोरम कोम	18.00
19	क्रिएटिव चैनल	461.00
20	क्रिएटिव आई, मुम्बई	1333.00
21	डी ए वी पी	107.00
22	दृष्टि इंडिया लि.	294.00
23	यूरो आर एस जी, मुम्बई	100.00
24	फेम कम्यूनिकेशन्स	1137.00
25	फिल्म क्राफ्ट, मुम्बई	1266.00
26	फर्स्ट ऑप्शन	72.00
27	फ्यूचर कम्यूनिकेशन्स	11.00
28	जी.एन. कम्यूनिकेशन्स	43.00
29	ग्लोबल इन्टरटेनर, न.दि.	161.00
30	ग्लोबल विज़न, दिल्ली	5.00
31	ग्रे वर्ल्डवाइड	77.00
32	गुरूजी एडवरटाइजिंग	318.00
33	एचएमटी	3.00
34	एचटीए	59.00
35	इनोविजन	25.00
36	इन्टरफेक्ट, अहमदाबाद	41.00

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	मूल राशि
37	आई डी टीवी	33.00
38	जया एडवरटाइजिंग	47.00
39	जोशलिन कोम. लिमिटेड	42.00
40	काइनस्कोप, मुम्बई	70.00
41	लहर पब्लिसिटी	27.00
42	लिन्टास	89.00
43	एल.आर.इन्ट.	155.00
44	एम.बी.एम.	163.00
45	मेडीसन	383.00
46	मैजिक बॉक्स, मुम्बई	11.00
47	मेग्ना वीजन	105.00
48	मार्केट मूवर्स	311.00
49	माया इन्टरटेनमेंट	120.00
50	मेक्केन ऐरिक्सन	189.00
51	मीडिया एशिया	122.00
52	मुद्रा कम्यूनीकेशन	49.00
53	मल्टीचैनल, मुम्बई	1102.00
54	एम एक्स एडवरटाइजिंग	104.00
55	एन एफ डी सी	6327.00
56	नीरज फिल्म्स, नई दिल्ली	23.00
57	निम्बस	787.00
58	नूमेरो उनो	1010.00
59	पारस मार्केटिंग	19.00
60	पी ए एस इन्टरनेशनल	208.00
61	पिंकी	115.00
62	प्लस चैनल	1012.00
63	पी.एन.सी., मुम्बई	154.00
64	प्रभा फिल्म्स	80.00
65	प्रचार कोम.	15.00
66	प्राइम टाइम	345.00
67	आर.के.स्वामी	9.00
68	राधा पब्लिसिटी	13.00
69	रेडीफूजन	221.00
70	रिजल्ट	866.00
71	सागर इन्टरटेनमेंट	49.00
72	साहिल इन्ट.	2.00
73	साल्विया इन्टरनेशनल	34.00
74	श्री माधव पोली प्रोडक्ट	11.56
75	सिचुएशन एडवरटाजिंग	5.00
76	स्टार गजर	22.00
77	टाईमशॉप एडवरटाइजिंग	13.00
78	ट्रेसर	33.00

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	मूल राशि
79	ट्रांसलिंक टेलीवीजन	22.00
80	ट्राइटोन कम्यूनीकेशन	82.00
81	यूनीटेक-क्रिनेविस्टा	90.00
82	यूनीवर्सल कम्यूनीकेशन	207.00
83	यूरेनस मार्केटिंग	46.00
84	विज्ञापन	3.00
85	वर्ल्डकॉम मल्टीमीडिया	58.00
86	वर्ल्ड मीडिया	132.00
87	डब्ल्यू डी कन्जूमर	17.00
योग		**21883.56**

अनुबन्ध 4

(पैराग्राफ 6.1.3.2 के संदर्भ में)

दूरदर्शन द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में वेब साईट पर प्रकाशित देयों में अन्तर

(लाख रु. में)

अभिकरण का नाम	वेबसाइट के अनुसार बकाया	विभागों के अभिलेखों के अनुसार बकाया	अन्तर अधिक (+) कम (-)
दू.वा.से. नई दिल्ली			
कोरम कम्यूनीकेशन	18.00	28.13	(-) 10.13
क्रिएटिव आई, मुम्बई	1333.00	1408.12	(-) 75.12
फिल्म क्राफ्ट, मुम्बई	1266.00	2091.51	(-) 825.51
फर्स्ट आप्शन	72.00	166.55	(-) 94.55
जोशलिन कोम. लिमिटेड	42.00	102.43	(-) 60.43
काइन स्कोप, मुम्बई	70.00	142.79	(-) 72.79
एल.आर. इन्टरटेनमेंट	155.00	161.39	(-) 6.39
मा बोजेल	-	11.05	(-) 11.05
मैजिक बॉक्स, मुम्बई	11.00	12.65	(-) 1.65
नीरज फिल्म्स, मुम्बई	23.00	110.04	(-) 87.04
नूमेरो उनो	1010.00	1321.55	(-) 311.55
पॉपुलर इन्टरटेनमेंट	-	66.94	(-) 66.94
प्रितीश नन्दी	-	154.15	(-) 154.15
रोमेश फिल्मस	-	17.21	(-) 17.21
श्री माधव पॉली प्रोडक्ट	11.56	1156.16	(-) 1144.60
ट्रेसर	33.00	36.77	(-) 3.77
ट्रांसलिंक टेलीवीज़न	22.00	25.11	(-) 3.11
	4066.56	**7012.55**	**(-) 2945.99**
दू.द.के. मुम्बई			
आर्ट कमर्शियल	17.54	16.90	(+) 0.64
कान्टेक्ट एडवरटाईजिंग	5.00	3.39	(+) 1.61
एच टी ए	27.58	27.46	(+) 0.12
ओमेगा मास मीडिया	14.61	13.22	(+) 1.39
रेडीफूज़न	3.35	0.17	(+) 3.18
सागर इन्टरटेनमेंट	13.31	3.88	(+) 9.43
यूनीवर्सल कम्यूनीकेशन	13.18	12.97	(+) 0.21
योग	**94.57**	**77.99**	**(+) 16.58**

संकेताक्षरों की सूची

विज्ञ	विज्ञापन
आ.वा.	आकाशवाणी
के.जां.ब्यू.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो
वा.प्र.से.	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा
के.बि.ई.	केन्द्रीय बिक्री इकाई
दू.वा.से.	दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा
दू.द.	दूरदर्शन
दू.द.के.	दूरदर्शन केन्द्र
म.नि.	महानिदेशक
नि.वा.सं.	निःशुल्क वाणिज्यिक समय
एफ.एम.	फ्रिक्वेंसी मोड्यूलेशन
ब्या.	ब्याज
कि.वा.	किलोवाट
नि.ता.ट्रां.	निम्न ताप ट्रांसमीटर
नि.रें.सैट.	निम्न रेंज सैटलाइट
न्यू.गां.	न्यूनतम गारंटी
उ.न.	उपलब्ध नहीं
रा.ने.	राष्ट्रीय नेटवर्क
ए.दि.अं.	एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
मू.	मूल
नि.	निजी
भु.ले.का.	भुगतान एवं लेखा कार्यालय
प्र.भा.	प्रसार भारती
का.नि.के. (उ.पू.)	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (उत्तर पूर्वी)
लो.क्षे.उ.	लोक क्षेत्र उपक्रम
क्षे.भ.सै.से.	क्षेत्रीय भाषा सैटेलाइट सेवा
$	डॉलर
भा.स्टे.बैं.	भारतीय स्टेट बैंक
स्पॉ.बॉ.द.	स्पॉट बॉय दर
स्रो.प.क.क.	स्रोत पर कर की कटौती
टे.रे.प्वा.	टेलीविज़न रेटिंग प्वांइट
खं.	खण्ड